


The University follows Academic regulations of the University to maintain discipline among students:

At Hostel level wardens follow the regulations as per Academic regulations and maintain discipline.

- In case the cases are serious in nature the same are referred to chief warden/concerned Dean of the colleges.
- The matter is taken up in College Discipline board.
- The cases of more serious in nature or matter between two colleges are referred to University Discipline Committee consisting of Dean of the Colleges and DSW as Member Secretary.
- The Vice Chancellor on the recommendations of Discipline committee accord approval for punishments thereof.
- Various cases have been dealt as also received from UGC and other implementing agencies.


Deputy Student Welfare
S.V.P.A.S.T.
Mecrut-250110

Ⓟ

Registrar
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech.
Mecrut-250110 (U.P.)

कार्यवृत्त

दिनांक 14.09.2022 को न्यू गल्स छात्रावास की छात्राओं का माननीय कुलपति जी से प्राप्त पत्र पर छात्राओं की समस्याओं पर विचार करने हेतु प्रातः 11.30 बजे जीव प्रौद्योगिक महाविद्यालय में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे :-


1. कुलसचिव
2. अधिष्ठाता, पी0जी0एस0
3. अधिष्ठाता, जीव प्रौद्योगिकी
4. सह अधिष्ठाता छात्र कल्याण (छात्रावास)
5. अधिष्ठाता छात्र कल्याण
6. छात्रावास अधीक्षिका (न्यू गल्स छात्रावास)
- 7- Jakkannagari Chaithanya, Id.No.4907, Ph.D.
- 8- Priyanka Yadav, Id.No.4923, Ph.D.
- 9- Jyoti Singh, Id.No.4896, Ph.D.
- 10- Varsha Rani, Id.No.4895, Ph.D.
- 11- Veerala Priyanka, Id.No.4917, Ph.D.
- 12- Akanksha Singh, Id.No.4899, Ph.D.

बैठक में 6 छात्राओं कु0 ज्योति सिंह, आकांक्षा, विराला प्रियंका, वर्शा रानी, प्रियंका यादव एवं जकन्नागरी धलन्धा से व्यक्तित्व तौर पर वार्ता कर उनकी समस्याओं को सुना गया जिससे निम्न बिन्दु परिलक्षित हुये -

1. उपरोक्त सभी छात्राओं द्वारा अपनी थोसिंग जमा कर दी गई है मात्र वाइवा शेष है जिसकी परामर्शदाताओं द्वारा विलम्ब से थोसिंग जमा करने के कारण अभी तिथि निर्धारित नहीं हुई है।
2. सभी छात्राये छात्रावास में बिना अनुमति लिए, बिना पंजीकरण कराये तथा बिना छात्रावास शुल्क जमा किए छात्रावास में निवास कर रही हैं।
3. इन्हन 2 छात्राएँ सिंगल सीटिड निवासरत हैं।
4. चूंकि विश्वविद्यालय में छात्रावासों की कमी है जिस कारण नव प्रवेशित छात्राओं को छात्रावास में आवंटित कक्ष उपलब्ध नहीं हो रहे हैं।

समिति समस्त बिन्दुओं पर विचार कर निम्नानुसार व्यवस्था की संस्तुति करती है :-

1. छात्राओं द्वारा पी0एस0डी0 डिग्री की थोसिंग जमा करने के उपरान्त छात्रावास में बिना पंजीकरण कराये बिना अनुमति प्राप्त किये एवं बिना छात्रावास शुल्क जमा किये छात्रावास में निवास करना उचित नहीं है।
2. समिति छात्राओं के अनुरोध पर यह संस्तुति करती है कि जब तक छात्रावास में नव प्रवेशित छात्राओं का प्रयोग नहीं होता तब तक यदि छात्रावास में रिक्त कक्ष उपलब्ध हो तो विशेष परिस्थितियों में छात्रावास में निवास कर सकती है।
3. नव आगन्तुक छात्राओं के छात्रावास में आने पर इस प्रकार के समस्त छात्राओं को छात्रावास आवेदनपत्र भाली करना होगा ताकि नव आगन्तुक छात्राएँ बिना कक्ष आवंटित है उनको कक्ष उपलब्ध हो सकें।
4. छात्राओं के द्वारा समिति को अवगत कराया गया है कि वे तत्काल प्रभाव से नव आगन्तुक छात्राओं को कक्षों से प्राप्त 2 कक्षा में ट्रिपल सीटिड निवास करेगी।


छात्रावास अधीक्षिका


सह अधिष्ठाता छात्र कल्याण


Registrar
S.M.P. Uni. of Agri. & Tech
Meerut-250110 (U.P.)

Name of the victim along-with full contact details:	Mr. Satpal Singh, 3 rd Year, Ph. D. Plant Pathology, Sir C.V. Raman Hostel, Sardar Vallabhbhai Patel University of Agriculture & Technology, Meerut. Mobile: 9412509471 Email: satpal.singh1794@gmail.com
Names of the accused along-with full contact details:	Mr. Rohit Kumar, 4 th Year, Ph. D. Genetics and Plant Breeding, Sir, C.V. Raman Hostel, Sardar Vallabhbhai Patel University of Agriculture & Technology, Meerut. Mobile: 9459095070 Email: rohitkumaruas2016@gmail.com
Date of filing of the complaint and to whom:	22 October, 2020 to Anti-ragging Helpline and communicated to University by email
Whether FIR/ criminal complaints have been lodged:	No
Details of the complaint:	ARCC/UP-6417, dated 22/10/2020
Nature of the complaint:	Normal
The constitution of the anti-ragging committee:	Anti-ragging committee, anti-ragging squads were constituted with the approval of the competent authority vide letter nos. SVP/2020/DSW/9191, dated 19-10-2020
Actions taken by the institution in solving the complaint date wise:	

1. First meeting of the Anti-ragging committee was held on 26-10-2020 at 10:15 AM & following points emerged in the meeting.
2. The issue was reported by Mr. Satpal Singh, 3rd Year, Ph. D. Plant Pathology, Sir C.V. Raman Hostel, Sardar Vallabhbhai Patel University of Agriculture & Technology, Meerut on Anti-ragging help line on 22.10.2020 at 21:43:28 through phone & communicated to University through E-mail vide reference No. ARCC/UP 6417, dated 23.10.2020 at 00:05:01.
3. Mr. Satpal Singh (Pursuing: Ph.D Agriculture Plant Pathology 3rd year) reported that he has been mentally & physically harassed by senior Mr. Rohit Kumar, (Pursuing: Ph.D. Genetics and Plant Breeding, 4th year). According to Mr. Satpal Singh, Mr. Rohit Kumar abused him and beat him and grab his neck very tightly and also tear his T-shirt and he also had injury in his arm, this all happened in Mess of Sir CV Raman hostel.
4. Both the students were called to record their statements by the committee. Written statements of the students were recorded and kept in record.
5. It was decided that other students of the hostel, mess workers and other staff members may be called to make clear recommendations, & next meeting of the committee was fixed on 29/10/2020 at 3:00 PM.
6. Second meeting of the Anti-ragging committee was held on 29.10.2020 at 03:00 PM in which statements narrated by both the students in first meeting & their written statements were evaluated besides statements of 13 other students of the hostel, 2 Mess workers, and student's advisors were recorded, & next meeting of the committee was fixed on 3/11/2020 at 12:00 Noon.
7. Third meeting of the Anti ragging committee was held on 3/11/2020 at 12:00 noon. During previous two meetings both the accused and victim were given free and fair opportunity to present their concerns. It is concluded on the basis of statements & observations of Mr. Rohit Kumar, Mr. Satpal Singh, other students of the hostels, mess workers & faculty members that the present case is not a case of ragging rather a dispute

Handwritten: 02/11/2020

Handwritten: [Signature]

Handwritten: [Signature]

Handwritten: [Signature]

Handwritten: 3

Handwritten: [Signature]

Handwritten: 2/11/20

Handwritten: [Signature]

occurred in mess in relation to distribution of food. Mr. Satpal Singh made complaint hurriedly without giving due time to university authorities. Both the students apologised and they intended to withdraw complaint. Written statements in this regard has been submitted by the complainant and accused.

Conclusions of the investigation: The complaint was made hurriedly and is not a case of ragging

Punishment recommended by the Anti Ragging Committee: Anti-ragging committee recommended that both the students be advised not to repeat such type of activity in future.

Regulatory authority of the University UGC/ICAR

Members present in the meeting along with the name, designation and signature:

POSITION	NAME OF THE MEMBER	Signature
Head of the institution	Dr. R.K. Mittal	<i>R.K. Mittal</i>
Civil Representative	Mr. Amit Kumar Bharti, SDM, Sardhana, Meerut	<i>NT</i>
Police administrations member	CEO, Daurala	<i>21/11/20</i>
Local media representatives	Mr. Mohit Kumar, Press Reporter, Amar Ujala	<i>HT</i>
Local media representatives	Mr. Manoj Jain, Press Reporter, Hindustan	<i>21/11/20</i>
Local media representatives	Mr. Sanjeev Tomar, Press Reporter, Dainik Jagran	<i>Sanjeev</i>
Local media representatives	Mr. Musahid Husain, Press Reporter, Janwani	
Member from NGO	Mrs. Anita Rana, Janhit Foundation	
Faculty Members		
Registrar/Dean, Technology	Dr. B.R. Singh	<i>Dr. B.R. Singh</i>
Dean Student Welfare	Dr. Anil Sirohi	<i>Anil Sirohi</i>
Dean, Agriculture	Dr. N. S. Rana	<i>N.S. Rana</i>
Dean, PGS/ Post Harvest Technology	Prof. Samsher	<i>Samsher</i>
Dean, Biotechnology	Dr. R. Kumar	<i>R. Kumar</i>
Dean, Vet. & Animal Sciences	Dr. Rajbir Singh	<i>Rajbir Singh</i>
Dean, Horticulture	Dr. Bijendra Singh	<i>Bijendra Singh</i>
Chairman, WCC	Dr. Archana Arya	<i>Archana Arya</i>
Non Teaching University Staff		
Accounts Officer	Mr. S.N. Pandey	
Head Assistant	Mr. Satish Kumar	<i>Satish Kumar</i>
Junior Clerk	Mr. C.P. Singh	<i>C.P. Singh</i>

(R)

Registrar
S.V.P. Ual. of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)

(4)

Rediffmail

Mailbox of anurag@rediffmail.com

Post | Cancel

From: Anti-Ragging Helpline helpline@antiragging.in
 To: anurag@rediffmail.com
 Subject: Ref No. ARCC/UP-5899
 Date: Mon, 23 Sep 2019 11:48:03 IST
 Cc: kashyap@gmail.com, deepak.yyer@gmail.com, ashishshekar@yyc.com

Ref.No. ARCC/UP-5899

(NOTE: Please mention the above given Ref No in your reply)

Dear Sir/Madam,
 This mail is to inform that we already have forwarded you a complaint. Kindly consider this mail as a reminder and send us report on the action taken by you for the following complaint. The details which are required mentioned below, your earliest response would be appreciated.

- (i) Details of investigation done by anti ragging committee members,
- (ii) Conclusions of the investigations,
- (iii) List of the anti ragging committee members along with their signatures, position of the members in Anti Ragging Committee. [i.e., chairman, convenor or member etc.] and their contact details (Active Mobile Number and email address).
- (iv) Report should be on Letter Head of the Institution or with the stamp of the Head of Institution in pdf, Doc or PPTG format along with all supported documents.
- (v) Kindly mention your Regulatory Authority (i.e., UGC, MCI, NAAC, MNRD, AICTE etc.)
- (vi) Details of punishment for the culprits - if any etc.

NOTE: Enquiry /Investigation /Disciplinary Committee reports etc. are not acceptable. As per UGC regulations only report of the Anti Ragging Committee is acceptable.

This is to inform you that you can read - what constitutes Ragging on the following link:
http://www.ugc.ac.in/commitment/anti-ragging/441_124828.pdf We will await your response before we recommend this case for further action. A personal dispute between students is Ragging.

Thanks & Regards,

Superior
 ID: 42554
 Anti-Ragging & Anti-Racial Abuse Helpline: 1800-180-3522
helpline@antiragging.in

BASIC COMPLAINT DETAILS

CASE REGISTERED THROUGH PHONE

Complain Of Ragging

Complaint Type: Normal
 Complaint Date: 21 Sep 2019 21:26:54
 Case Name: ZCG217
 Name Of College: sardar vallabhbhai patel university of agriculture and technology meerut
 State: Uttar Pradesh
 Affiliating University: sardar vallabhbhai patel university of agriculture and technology meerut

Complaint Details

Victim (Pursuing: 2nd year B.Tech Bio Tech) has been physically and mentally harassed by senior students. Culprits named as: Ishiya Zafar (Pursuing: 4th year B.Tech Bio Tech) and Avinav Saini (Pursuing: 4th year Agriculture). According to the complainant, culprits beaten up the victim very brutally, passing nonsense comment, abused the victim in college. Kindly look into the matter ASAP.

Post | Cancel | Registrar
 S.V.P. Uni. of Agri. & Tech.
 Meerut-250110 (U.P.)

5

अधिष्ठाता छात्र कल्याण



कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं
प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ - 250110

पत्रांक सं०: सवप/अध्यापक/2019/870
दिनांक : 24.09.2019


सेवा में,

कुलसचिव
सदस्य, ऐन्टी-रैगिंग कमेटी,
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
मेरठ (उ० प्र०) 250110

महोदय,


सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में दिनांक 24.09.2019 दिन मंगलवार सायं 4:30 बजे ऐन्टी-रैगिंग समिति की बैठक माननीय कुलपति जी के सभागार में आहूत की जानी सुनिश्चित है जिसमें विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं द्वारा ऐन्टी-रैगिंग सेल में पहुँची शिकायत सं० ARCC/UP-5899 पर विचार-विमर्श किया जाना जायेगा ।

अतः आपसे अनुरोध है आप बैठक में उपरोक्त दिनांक को निश्चित समय एवं स्थान पर प्रतिभाग करने का कष्ट करें ।


अधिष्ठाता छात्र कल्याण



Registrar
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)


24/9/19



complaint No. ARCC/UP 5899, 21-09-19

Report of the Antiragging Committee held on 24/09/2019 with reference to complaint no. ARCC/UP-5899 dated 21/09/2019

Name of the victim along-with full contact details:	Miss Vanshika, ID No. 4145 Mobile: 7618654143 Email: Village and Post- Hewa, District- Baghpat- 250617		
Names of the accused along-with full contact details:	Miss Avanji Saini, ID No. 3525 Mobile No. 9557842480 Address: Vill. & Post- Luhsana, District Muzzafernagar-251309 Miss Insiya Zafri, ID No. 3476 Mobile No. 8299739498 Address: H. No. 1/115, Nawab Ganj, District Kanpur- 208002		
Date of filing of the complaint and to whom:	21 st September, 2019 to Anti-ragging Helpline and communicated to University by email		
Details of the complaint:	ARCC/UP-5899 dated 21/09/2019		
Nature of the complaint:	Normal		
The constitution of the anti-ragging committee:	Anti-ragging committee, anti-ragging squads were constituted with the approval of the competent authority vide letter nos. SVP/DSW/2019/858 dated 12-07-2019.		
Actions taken by the institution in solving the complaint date wise:			
Details of the investigation done by antiragging committee members <i>Statements of victim and accused were recorded and witnesses were examined for further discussion and final decision meeting is fixed on 28.9.19 2.00PM.</i>			
Conclusions of the investigations			
Details of the punishment for culprits- if any	N.A		
Regulatory authority of the University			
Members present in the meeting along with the name, designation and signature:			
POSITION	NAME OF THE MEMBER	Contact details	Signature
Head of the institution	Prof. R. K. Mittal	0121 2888522	<i>R. K. Mittal</i>
Civil Representative	SDM, Sardhana, Meerut	9454416687	
Police administrations member	CEO, Daurala	9454401588	
Local media representatives	Mr. Mohit Kumar, Press Reporter, Amar Ujala	9627064130	<i>Mohit Kumar</i>
Local media representatives	Mr. Manoj Jain, Press Reporter, Hindustan	9412205177	<i>Manoj Jain</i>
Local media representatives	Mr. Musahid Husain, Press Reporter, Janwani	8057578148	<i>Musahid Husain</i>
Local media representatives	Mr. Gaurav Tyagi, Press Reporter, Dainik Jagran	9897123531	<i>Gaurav Tyagi</i>
Member from NGO	Mrs. Anita Rana, Janhit		<i>Anita Rana</i>

A. Indu *Anita Rana* *Anand*

24/9/19

Registrar
S.V.P. Uni. of Agr.
Meerut-250110

	Foundation		
Registrar	Dr. Ashok Kumar	9760466351	<i>AD</i>
Dean Student Welfare	Dr. Anil Sirohi	9410275769	<i>Dr. Anil Sirohi</i>
Dean, Post Graduate Studies	Dr. N. S. Rana	9412476030	<i>Dr. N. S. Rana</i>
Dean, Agriculture	Prof. Samsheer	8392955144	<i>Prof. Samsheer</i>
Dean, Biotechnology	Dr. Ravinder Kumar	9410455496	<i>Dr. Ravinder Kumar</i>
Dean, Horticulture	Dr. Bijender Singh	9412701340	<i>Dr. Bijender Singh</i>
Dean, Technology	Dr. B.R. Singh	9412630774	<i>Dr. B.R. Singh</i>
Dean, Veterinary and Animal Sciences	Dr. Rajvir Singh	9410816139	<i>Dr. Rajvir Singh</i>
Chairman, WCC	Dr. Archana Arya	9760505459	<i>Dr. Archana Arya</i>
Associate Registrar	Mr. D. K. Singh	9411259978	<i>Mr. D. K. Singh</i>
Accounts Officer	Mr. S.N. Pandey	9411643901	<i>Mr. S.N. Pandey</i>
Junior Clerk	Mr. C.P. Singh	9412510502	<i>Mr. C.P. Singh</i>

Dr. Anil Sirohi
Dr. Archana Arya

Dr. Samsheer
24/9/19

R.K. Mittal
24.9.19

Dr. R.K. Mittal
Vice-Chancellor
S.V.P.U.A. & T., Meerut

R
Registrar
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)

Gmail

Registrar Svbp <registrarsvbpmeerut@gmail.com>

Ref No. ARCC/UP-3259

1 message

Sat, Mar 25, 2017 at 2:58 PM

Anti-Ragging Helpline <helpline@antiragging.in>

To: Registrarsvbpmeerut@gmail.com

Cc: anilsirohi@rediffmail.com, readerspcity@gmail.com, sodaurala001@gmail.com, kachrooraj@gmail.com, deepak.syrex@gmail.com, sunita.salman@yahoo.in, rohit.chouhan@syrex.in

Ref No. ARCC/UP-3259

(NOTE: Please mention the above given Ref No in your reply)

Dear Sir/Madam,

We have received a complaint of ragging from a student of SARDAR VALLABH BHAI PATEL UNIVERSITY OF AGRICULTURE & TECHNOLOGY, MEERUT, The details are given below.

You are requested to identify & counsel the victim so that she feels safe and knows that authorities are with her & action will be taken on her complaint. You are also requested not to disclose the identity of the victim.

"7.1 Action to be taken by the Head of the institution by the order of Hon. Supreme Court:

on receipt of any information concerningany reported incident of ragging, the Head of institution shall immediately determine if a case under the penal laws is made out and if so, proceed to file a First Information Report (FIR), within twenty four hours of receipt of such information or recommendation, with the police and local authorities, under the appropriate penal provisions relating to one or more of the following, namely;

- v. Violation of decency and morals through ragging;
- vi. Injury to body, causing hurt or grievous hurt;
- x. Assault as well as sexual offences or unnatural offences;
- xi. Extortion;
- xvii. Physical or psychological humiliation;

NOTE: KINDLY SEND AN INVESTIGATION REPORT BY THE ANTIRAGGING COMMITTEE DULY SIGNED BY ITS MEMBERS.

You can read – what constitutes Ragging on the following link: http://www.amanmovement.org/what_constitues_ragging.pdf.

Thanks & Regards

Supervisor

ID: 12307

Anti-Ragging & Anti-Racial Abuse Helpline :1800-180-5522

helpline@antiragging.in

BASIC COMPLAINT DETAILS

Complaint Registered Through Email

<https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=16cc4d6d94&view=pt&search=ir:box32=15b04cc029c389c3&siml=15b04cc029c389c3>

Registrar
S.V.B.P. Uni. of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)

Complaint Of Ragging

Complaint Type: Serious
Complaint Date: 25 Mar 2017 12:53:49
Case Name: LYD044
Name Of College: SARDAR VALLABH BHAI PATEL UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY
MEERUT
State: Uttar Pradesh
Affiliating University: SARDAR VALLABH BHAI PATEL UNIVERSITY OF AGRICULTURE & TECHNOLOGY,
MEERUT

Complaint Details:

Ragging Details: Respected Sir, In view of the above the following complain written by my father to university authorities but no action initiated by authority till now. Complain dated 29.09.2016 by fax and 17.10.2016 by fax
Attachment 1: Download

UP-3259.docx
30K



Registrar
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)



Dean, Post Graduate Studies	Dr. N: S. Rama	<i>12/6/2017</i>
Dean, Agriculture	Prof. Samsher	<i>12/2/17</i>
Dean, Biotechnology	Dr. Ravinder Kumar	<i>12/6/17</i>
Chairman, WCC	Dr. Archana Arya	<i>12/6/17</i>
Non-Teaching University Staff		
Assistant Registrar	Mr. Davendra Yadav	<i>Absent</i>
Accounts Officer	Mr. S.N. Pandey	<i>12/6/17</i>
Junior Clerk	Mr. C.P. Singh	<i>CP Singh</i>
Fresher Student		
M.Sc. (Agriculture Bio-tech.)	Miss. Varsha Rawat	<i>Rawat</i>
B.Tech. (Bio-tech)	Miss. Chesta Rani	<i>Absent</i>
Senior Students		
B.Sc. Agriculture	Mr. Shikhar Mishra	<i>Absent</i>
Ph.D. Agriculture	Miss. Shweta Singh	<i>Absent</i>
Dean, Veterinary	Prof. Rajbir Singh	<i>12/5/2017</i>

Note: The Institution to send the Anti Ragging Committee Report as per the above format along with the following:-

Final action taken by the Institution: The case is not related to ragging hence no action was required.

Chitra Rane
Archana

CP Singh
12/6/17

12/06/17

12/6/2017
W.S. Khan

S. Niraj
12/06/2017

Rawat
12/6/17

Registrar
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)

Mail - Ref No. ARCC/UP-3360

Victim (Pursuing B.Tech. 1st year 2nd Semester) has been physically and mentally harassed by senior students. Named as: Arjun Rana (3258), Aditya Chouhan (3200), Simander (3256) (Bsc Agriculture 3rd year). According to the victim, culprit is abused him, passing nonsense comments, beaten by the culprits. So kindly look into the matter and resolve the complaint as soon as possible.

Q

Registrar
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)

Name of the victim along with full contact details:	Mr. Ramakant Sharma, S/o Sh Manoj Sharma, Vill Rampur, Post Office Dayalpuri near Khatauli, Distt. Muzzafarnagar Mobile: 96346537265 Present Address : ID No. 3507/, B.Tech (Biotech) 1st year, S.V.P.U.A.& T., Meerut
Names of the accused along with full contact details:	Mr. Arjun Rana (ID No.-3258/15), B.Sc. IInd Year Mr. Aditya Chauhan (ID No.3200/15), B.Sc. IInd Year and Mr. Sirmander (ID No.- 3256/15), B.Sc. IInd Year
Date of filing of the complaint and to whom:	7 th June, 2017 to Anti-ragging Helpline and communicated to University by email
Whether FIR/ criminal complaints have been lodged:	No
Details of the complaint:	ARCC/UP-3360 dated 07/06/2017
Nature of the complaint:	Normal
The constitution of the anti-ragging committee:	Anti-ragging committee, anti-ragging squads were constituted with the approval of the competent authority vide letter nos. SVP/DSW/2016/6353 dated 18-07-2016 and SVP/DSW/2016/6334 dated 11-07-2016
Actions taken by the institution in solving the complaint date wise: A meeting of the Anti-ragging committee was held on 12/06/2017 to resolve the issue. Both the victim and accused, in presence of their guardians, were given free and fair opportunity to present their concerns. Mr. Ramakant Sharma narrated that the incident took place due to misunderstanding and apprehensions and he intended to withdraw the complaint. Mr. Ramakant and his father both accepted that they made the complaint hurriedly without giving due time to University authorities. Mr. Arjun Rana(3258), Mr. Aditya Chauhan (3200) and Mr. Sirmander 3256) accepted that the incident took place due to misunderstanding and will not repeat such type of action in future. Affidavit in this regard has been submitted by all the complainant and accused.	
CCTV cameras /other security measures undertaken by the institution: Yes	
Anti-Ragging cases in the last three years: One	
Punishment recommended by the Anti Ragging Committee:	Anti-ragging committee decided and placed Mr. Arjun Rana (3258), Mr. Aditya Chauhan (3200) and Mr. Sirmander (3256) on conduct probation for one year i.e Academic session 2017-18 and issued a written warning to them.
Members present in the meeting along with the name, designation and signature:	
POSITION	NAME OF THE MEMBER Signature
Head of the institution	Prof. Gaya Prasad, Vice Chancellor → G. Prasad
Civil Representative	SDM, Sardhana, Meerut Absent 12/06/17
Police administrations member	Dr. B. S. Vir Kumar, CEO, DAURAJA NA Absent
Local media representatives	Mr. Mohit Kumar, Press Reporter, Amar Ujala NA Absent
Local media representatives	Mr. Parminder Sagar, Press Reporter, Hindustan N Absent
Local media representatives	Mr. Om Bajpayee, Press Reporter, Dainik Jagran Absent
Member from NGO	Mrs. Anita Rana, Janhit Foundation Anita Rana

Arachand
CP Singh
12/6/17

Anita Rana
12/6/17
R Kumar
12/06/17
(15)

12.6.2017
12/6/17

12/6/17
12/6/17
Registrar
S.V.P. Unit of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)

Faculty Members

Registrar	Dr. R.R. Singh	<i>R.R.S.</i> 12/6/17
Dean Student Welfare	Dr. Anil Sirohi	<i>Anil Sirohi</i> 12/6/17
Dean, Post Graduate Studies	Dr. N. S. Rana	<i>N.S.R.</i> 12/6/17
Dean, Agriculture	Prof. Samsher	<i>Samsher</i> 12/6/17
Dean, Biotechnology	Dr. Ravinder Kumar	<i>Ravinder Kumar</i> 12/6/17
Dean, Veterinary	Dr. Rajbir Singh	<i>Rajbir Singh</i> 12/6/17
Chairman, WCC	Dr. Archana Arya	<i>Archana Arya</i> 12/6/17
Non Teaching University Staff		
Assistant Registrar	Mr. Davendra Yadav	Absent
Accounts Officer	Mr. S.N. Pandey	Absent
Junior Clerk	Mr. C.P. Singh	<i>C.P. Singh</i> 12/6/17
Fresher Student		
M.Sc. (Agriculture Bio-tech.)	Miss. Varsha Rawat	<i>Varsha Rawat</i> 12/6/17
B.Tech. (Bio-tech)	Miss. Chesta Rani	Absent
Senior Students		
B.Sc. Agriculture	Mr. Shikhar Mishra	Absent
Ph.D. Agriculture	Miss. Shweta Singh	Absent

Note: The Institution to send the Anti Ragging Committee Report as per the above format along with the following:-

Final action taken by the Institution: Mr. Arjun Rana(3258), Mr. Aditya Chautan (3200) and Mr. Sirmander (3256) placed on conduct probation for one year i.e Academic session 2017-18 and issued a written warning to them. The issue stands resolved amicably.

S. D. Singh
12/06/17

Anita Rano

Arjun Rana
12/6/17

Samsher
12/6/17

Varsha
12/6/17

CP Singh
12/6/17

Rajbir
12-6-2017

Shikhar
12/6/17

Registrar
S.V.P. Univ. of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)

सेवा में,

श्रीमान कुलपति महोदय
सरदार धन्वराव भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
मेरठ, उत्तर प्रदेश।

FAX No. 0121 - 2888505


महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी की पुत्री अपर्णा गौतम, एमटेक (जैव प्रौद्योगिकी) विभाग में प्रथम वर्ष की छात्रा है और फरवरी महीने में (2nd Semester) में प्रवेश लिया और शहीद भगत सिंह गर्लस छात्रावास में कक्षा भी मिल गया है। लेकिन प्रार्थी की पुत्री के साथ विगत सितम्बर 2016 जो भी घटनाएं घटित हुई थी, उसकी प्रभाव से यह आज भी डिप्रेशन व एंजाइटी से पीड़ित है और उसकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है, जिसकी वजह से यह और अधिक मानसिक तनाव में है और यह पढ़ाई हेतु विश्वविद्यालय आने के लिए जिव पर अड़ी है। प्रार्थी विगत 5-6 महीने से न्यूरो विशेषज्ञ व मनोचिकित्सक और योगा के माध्यम से इलाज करा रहा है। प्रार्थी महोदय जी को इस संबंध में पुनः फरवरी 2017 को सूचित कर चुका है। प्रार्थी की पुत्री पढ़ाई हेतु उक्त मनोवशा के बावजूद आपके निर्देशन के अनुसार प्रथम सेमेस्टर में अपनी माँ के साथ गेस्ट हाऊस में रहकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई की और टेस्ट व परीक्षा भी दी, लेकिन कई दिवसों में बैक आ गयी, क्योंकि छात्रावास में घटित घटनाओं (रैगिंग) के कारण पुत्री का इतना ज्वलित मानसिक क्षपीड़न व शोषण किया गया था, कि मानसिक तौर पर विलिप्त हो गयी थी और अपने को उबार नहीं पायी। चिकित्सकों ने सलाह दी है कि अपर्णा को आप छात्रावास में अकेले न छोड़े, आपका जो सुधार हो रहा है, हो सकता कि यह पुनः डिप्रेशन व एंजाइटी की हासत में पहुँच जाए, क्योंकि डिप्रेशन व एंजाइटी पुनः रिवर्त होने पर, इलाज में और अधिक कठिनाई होगी या कोई अन्य समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसलिए अपर्णा गौतम को छात्रावास में अकेले नहीं रहने देना है।

चिकित्सकों ने प्रार्थी को अपर्णा गौतम की पढ़ाई की दृढ़ इच्छाशक्ति व जिव को देखते हुए सलाह दी है, कि आप विश्वविद्यालय प्रशासन से अनुरोध करें, कि यदि कोई संकल्पना हो कि यह समय-समय पर विश्वविद्यालय में आकर नोट्स आदि प्राप्त कर घर पर रहकर पढ़ाई करे और निर्धारित समय पर परीक्षा में सम्मिलित हो जाए, क्योंकि यदि जित प्रकार से अपर्णा पढ़ाई के लिए तैयार है और उसे मौका न मिला तो भी उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है। प्रार्थी की पुत्री की आज जो हालत है और उसकी हालत को देखकर मैं सपली जित मानसिक तौर से गुजर रहे है उसकी कल्पना कर पाना मुश्किल ही नमुनकित भी है क्योंकि मेने पुत्री को उज्ज्वल भविष्य के लिए उच्च शिक्षा की पढ़ाई हेतु प्रवेश दिलाया था, लेकिन उसको ऐसे हालत में पहुँचा दिया गया कि मैं विश्वविद्यालय से अपनी पुत्री को मेन्टली अकसेट साकर घर में बैठाए हुए हूँ। विश्वविद्यालय प्रशासन ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की।

अतः महोदय जी से विनम्र अनुरोध है कि अपर्णा गौतम के इलाज व पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए, और प्रार्थी व परिवार की मानसिक स्थित को समझते हुए सहानुभूति पूर्वक विचार वार निर्दिष्ट करने की अवितम्ब कृपा करें। महान् दया होगी।

साधर धन्यवाद।



DSW

S. D. S. D.
22/03/17
Vice Chancellor
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech
Meerut-250110

17

S. D. S. D.
20/3/2017

(शिव नारायण)
3/26, जगजीवन राम मार्ग,
आवर्षी नगर, बुक्सार्गज, उन्नाव - 200881
मोबाइल: 09450131629

Registrar
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech,
Meerut-250110 (U.P.)



कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
मेरठ - 250 110 (उ०प्र०)


अधिष्ठाता छात्र कल्याण

पत्रांक: सवप/अ०प्र०क०/2022/10511
दिनांक: 19.06.2022

कार्यालय आदेश


सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ की अनुशासन समिति की संस्तुति एवं स्थान सं-2641/19 को नियम विरुद्ध जूनियर छात्रों को भड़काने एवं महाविद्यालय के अधिष्ठाता को सूचित किए बिना माननीय कुलपति जी से सीधे पत्राचार करने हेतु बाध्य करने का दोषी पाये जाने पर कड़ी चेतावनी दी जाती है; यदि भविष्य में छात्र द्वारा पुनः पुनरावृत्ति की जाती है या अन्य छात्रों द्वारा उपरोक्त कृत्य किया जाता है तो उन पर दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए छात्रावास से निष्कासन प्रभावी होगा।

इस आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त जारी किया जा रहा है।


अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपि:

1. समस्त सूचना पट।
2. छात्र सलाहकार को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को अपने स्तर से भी छात्र के संज्ञान में लायें।
3. सुरक्षा अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. अधिष्ठाता, कृषि/जैव प्रौद्योगिकी/पशुचिकित्सा/स्नात्कोत्तर/उद्यान/पोस्ट ग्राजुएट/तकनीकी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. वित्त नियन्त्रक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. कुलसचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. निजी सहायक को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।


अधिष्ठाता छात्र कल्याण

Registrar
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)



कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
मेरठ - 250 110 (उ०प्र०)


अधिष्ठाता छात्र कल्याण

पत्रांक: सवप/अ०छा०क०/2022/10019
दिनांक: 19.05.2022

कार्यालय आदेश


सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ की अनुशासन समिति की संस्तुति एवं सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के क्रम में बी०टेक० फूड टेक्नोलोजी द्वितीय वर्ष के छात्रों जतिन पाल आई०डी० सं०-4952/20 एवं रितिक चिकारा, आई०डी० सं०-4967/20 को फ० जवाहर लाल नेहरू छात्रावास में अनुशासनहीनता करने पर कड़ी चेतावनी दी जाती है। यदि भविष्य में छात्रों द्वारा पुनः पुनरावृत्ति की जाती है तो दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए छात्रावास से निष्कासन प्रभावी होगा।

यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त जारी किया जा रहा है।


अधिष्ठाता छात्र कल्याण 19/5/2022

प्रतिलिपि:

1. समस्त सूचना पट।
2. छात्रावास अधीक्षक डा० अमित कुमार को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश का छात्रों द्वारा तुरन्त पालन कराकर अधोहस्तकारी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
3. छात्र सलाहकार को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को अपने स्तर से भी छात्रों के संज्ञान में लायें।
4. सुरक्षा अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अधिष्ठाता, कृषि/जैव प्रौद्योगिकी/परगुचिकित्सा/स्नातकोत्तर/उद्यान/पोस्ट ग्राजुएट/तकनीकी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वित्त नियन्त्रक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. कुलसचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. निजी सहायक को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।


अधिष्ठाता छात्र कल्याण 19/5/2022

Ⓡ

Registrar
S.V.P. Unit of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)



कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
मेरठ - 250 110 (उ०प्र०)

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

पत्रांक: सवप/अ०छा०क०/2021/4668
दिनांक: 16.10.2021

कार्यालय आदेश

सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ की अनुशासन समिति की संस्तुति एवं सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के कम में श्री, भूपेन्द्र शाक्य, आई० डी० सं० 5216, बी०एस०सी० (कृषि) द्वितीय वर्ष, टाईप-I, ए० ब्लाक छात्रावास को विश्वविद्यालय के नियमों-परिनियमों {Academic Regulations- Chapter-III-Section 50(A)-(b), (j), (k), (l), (o), (r) & (s)} का उल्लंघन कर नियम विरुद्ध स्कूटी/मोटर सायकिल रखने, शराब आदि के खरीद एवं सेवन आदि में लिप्त होने, रात्री के समय में बैठक कर पढ़यन्त्र करने, अन्य छात्रों के अध्ययन में बाधा करने, चोर तरीकों/रास्तों से बिना अनुमति एवं सूचना के विश्वविद्यालय कैम्पस छोड़ने, झूठे एवं विरोधाभासी कथन कफ़ने, तथ्यों को छिपाने व व्यवस्था के उल्लंघन आदि दोषी पाये जाते हुए सक्षम स्तर से Academic Regulations- Chapter-III-Section 50(B)-(f) में निहित प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत श्री, भूपेन्द्र शाक्य, आई० डी० सं० 5216 को निम्न दण्ड प्रदान किये जाते हैं :-


1. सत्र 2021-22 के प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के लिए विश्वविद्यालय से निष्कासित (Temporary Dismissal) किये जाते हैं ।
2. छात्रावास से शेष पाठ्यक्रम हेतु निष्कासित किये जाते हैं ।
3. विश्वविद्यालय में परमानेन्ट सी०पी० (कन्डक्ट प्रोवेशन) पर रहेंगे ।
4. तत्काल प्रभाव से विश्वविद्यालय परिसर छोड़ना होगा ।
5. ऐसे कृत्यों की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए कड़ी चेतावनी दी जाती है ।

यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त जारी किया जा रहा है ।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिनिधि:

1. समस्त सूचना पट ।
2. छात्रावास अधीक्षक डा० वी० के० सिंह को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश का छात्र द्वारा तुरन्त पालन कराकर विश्वविद्यालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।
3. सुरक्षा अधिकारी को सूचनार्थ ।
4. छात्र सलाहकार डा० आर०एस० सैंगर, प्राध्यापक को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को अपने स्तर से भी छात्र एवं छात्र के अभिभावक के संज्ञान में लायें ।
5. अधिष्ठाता, कृषि/जैव प्रौद्योगिकी/पशुचिकित्सा/स्नात्कोत्तर/उद्यान/तकनीकी/पोस्ट हारवेस्ट टेक्नोलोजी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
6. वित्त नियन्त्रक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. कुलसचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. छात्र के अभिभावक श्री मकरंद सिंह शाक्य, 52/3 नील कण्ठेश्वर कोलोनी, पोस्ट बवारसी (सांगवान सिटी रोड), जिला अलीगढ़ 202001 को सूचनार्थ ।
9. निजी सहायक को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ ।


अधिष्ठाता छात्र कल्याण

(P)

Registrar
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)



कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
मेरठ - 250 110 (उ०प्र०)

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

पत्रांक: सवप/अधिका०/२०२१/१६६७
दिनांक : 18.10.2021

कार्यालय आदेश

सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ की अनुशासन समिति की संस्तुति एवं सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के क्रम में श्री विशाल सिंह, आई० डी० सं० 5212, बी०एस०सी० (कृषि) द्वितीय वर्ष, टाईप-I, ए० ब्लॉक छात्रावास को विश्वविद्यालय के नियमों-परिनियमों {Academic Regulations- Chapter-III- Section 50(A)-(o), (r) & (s)} का उल्लंघन कर नियम विरुद्ध रात्रि के समय में बैठक कर षडयन्त्र करने, अन्य छात्रों के अध्ययन में बाधा करने, तथ्यों को छिपाने व व्यवस्था के उल्लंघन आदि का दौपी पाये जाते हुए सक्षम स्तर से Academic Regulations- Chapter-III-Section 50(B)-(f) में निहित प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत श्री विशाल सिंह, आई० डी० सं० 5212 को विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए सी०पी० (कन्डक्ट प्रोवेशन) पर रखा जाता है।

यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त जारी किया जा रहा है।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपि:

1. समस्त सूचना पट।
2. छात्रावास अधीक्षक डा० वी० के० सिंह को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश का छात्र द्वारा तुरन्त पालन कराकर विश्वविद्यालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
3. सुरक्षा अधिकारी को सूचनार्थ।
4. छात्र सलाहकार को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को अपने स्तर से भी छात्र एवं छात्र के अनिमावक के संज्ञान में लायें।
5. अधिष्ठाता, कृषि/जैव प्रौद्योगिकी/पशुचिकित्सा/स्नात्कोत्तर/उद्यान/तकनीकी/पोस्ट ग्राजुएट हारवेस्ट टेक्नोलॉजी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. कित्त नियन्त्रक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. कुलसचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. छात्र के अनिमावक Sh. Manoj Kumar Singh, 10/10 Oilia Road Shakar Morh, Gautam Nagar, Chandauli-232104 को सूचनार्थ।
9. निजी सहायक को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।


अधिष्ठाता छात्र कल्याण



Registrar
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)

21



कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
मेरठ - 250 110 (उ०प्र०)

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

पत्रांक: सवप/अ०छा०क०/2021/5666
दिनांक: 16.10.2021

कार्यालय आदेश


सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ की अनुशासन समिति की संस्तुति एवं सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के कम मे श्री अंकित चौहान, आई०डी० सं० 5203, बी०एस०सी० (कृषि) द्वितीय वर्ष, टाईप-1, ए० ब्लाक छात्रावास को विश्वविद्यालय के नियमों-परिनियमों {Academic Regulations- Chapter-III-Section 50(A)-(b), (j), (k), (l), (o), (r) & (s)} का उल्लंघन कर नियम विरुद्ध स्कूटी/मोटर सायकिल रखने, सड़क आदि के खरीद एवं सेवन आदि में लिप्त होने, रात्री के समय में बैठक कर पढ़यन्त्र करने, अन्य छात्रों के अध्ययन में बाधा करने, घोर तरीकों/रास्तों से बिना अनुमति एवं सूचना के विश्वविद्यालय कैम्पस छोड़ने, झूठे एवं विरोधाभासी कथन करने, तथ्यों को छिपाने व व्यवस्था के उल्लंघन आदि का दोषी पाये जाते हुए सक्षम स्तर से Academic Regulations- Chapter-III-Section 50(B)-(f) में निहित प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत श्री अंकित चौहान, आई०डी० सं० 5203 को निम्न दण्ड प्रदान किये जाते हैं :-

1. सत्र 2021-22 के प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के लिए विश्वविद्यालय से निष्कासित (Temporary Dismissal) किये जाते हैं ।
 2. छात्रावास से शेष पाठ्यक्रम हेतु निष्कासित किये जाते हैं ।
 3. विश्वविद्यालय में परमानेंट सी०पी० (कन्डक्ट प्रोबेशन) पर रहेंगे ।
 4. तत्काल प्रभाव से विश्वविद्यालय परिसर छोड़ना होगा ।
 5. ऐसे कृत्यों की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए कड़ी चेतावनी दी जाती है ।
- यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त जारी किया जा रहा है ।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिनिधि:

1. सनस्त सूचना पट ।
2. छात्रावास अधीक्षक डा० वी० के० सिंह को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश का छात्र द्वारा तुरन्त पालन कराकर विश्वविद्यालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।
3. सुल्ला अधिकारी को सूचनार्थ ।
4. छात्र सलाहकार डा० एम० के० यादव, सह प्राध्यापक को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को अपने स्तर से भी छात्र एवं छात्र के अभिभावक के संज्ञान में लायें ।
5. अधिष्ठाता, कृषि/जैव प्रौद्योगिकी/पशुचिकित्सा/स्नात्कोत्तर/उद्यान/तकनीकी/पोस्ट हारवेस्ट टेक्नोलोजी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
6. वित्त नियन्त्रक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. कुलसचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. छात्र के अभिभावक श्री डी०एस० चौहान, Village Athoriya, Post Kanasi, Athoriya Kanasi, Farukhabad 207501 को सूचनार्थ ।
9. निजी सहायक को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ ।


अधिष्ठाता छात्र कल्याण

Registrar
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)



कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
मेरठ - 250 110 (उ०प्र०)

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

पत्रांक: सचप/अ०छा०क०/2021/9665
दिनांक : 16.10.2021

कार्यालय आदेश

सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ की अनुशासन समिति की संस्तुति एवं सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के क्रम में श्री अभिनव रावत, आई० डी० सं० 5206, बी०एस०सी० (कृषि) द्वितीय वर्ष, टाईप-I, ए० ब्लाक छात्रावास को विश्वविद्यालय के नियमों-परिनियमों {Academic Regulations- Chapter-III-Section 50(A)-(b), (j), (k), (l), (o), (r) & (s)} का उल्लंघन कर नियम विरुद्ध स्कूटी/मोटर सायकिल रखने, शराब आदि के खरीद एवं सेवन आदि में लिप्त होने, रात्री के समय में बैठक कर षडयन्त्र करने, अन्य छात्रों के अध्ययन में बाधा करने, चोर तरीकों/रास्तों से बिना अनुमति एवं सूचना के विश्वविद्यालय कैम्पस छोड़ने, झूठे एवं विरोधानाथी कथन करने, तथ्यों को छिपाने व व्यवस्था के उल्लंघन आदि का दोषी पाये जाते हुए सक्षम स्तर से Academic Regulations- Chapter-III-Section 50(B)-(f) में निहित प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत श्री अभिनव रावत, आई० डी० सं० 5206 को निम्न दण्ड प्रदान किये जाते हैं :-


1. सत्र 2021-22 के प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के लिए विश्वविद्यालय से निष्कासित (Temporary Dismissal) किये जाते हैं ।
2. छात्रावास से शेष पाठ्यक्रम हेतु निष्कासित किये जाते हैं ।
3. विश्वविद्यालय में परमानेंट सी०पी० (कन्डक्ट प्रोबेशन) पर रहेंगे ।
4. तत्काल प्रभाव से विश्वविद्यालय परिसर छोड़ना होगा ।
5. ऐसे कृत्यों की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए कड़ी चेतावनी दी जाती है ।

यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त जारी किया जा रहा है ।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपि:

1. समस्त सूचना पट ।
2. छात्रावास अधीक्षक डा० वी० के० सिंह को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश का छात्र द्वारा तुरन्त पालन कराकर विश्वविद्यालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।
3. सुब्बा अधिकारी को सूचनार्थ ।
4. छात्र सलाहकार डा० मुकेश कुमार, सह प्राध्यापक को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को अपने स्तर से भी छात्र एवं छात्र के अभिभावक के संज्ञान में लायें ।
5. अधिष्ठाता, कृषि/जैव प्रौद्योगिकी/पशुचिकित्सा/स्नात्कोत्तर/उद्यान/तकनीकी/पोस्ट ग्राजुएट हारवेस्ट टेक्नोलॉजी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
6. वित्त नियन्त्रक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. कुलसचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. छात्र के अभिभावक डा० राज कुमार रावत, वाला जी मन्दिर के पीछे, खैरेश्वर चौराहा, हरिदासपुर, न्यू हाइवे रोड, कोइल, अलीगढ़ 202001 को सूचनार्थ ।
9. निजी सहायक को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ ।


अधिष्ठाता छात्र कल्याण
Registrar
S.V.P. Unit of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)



कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
मेरठ - 250 110 (उ०प्र०)

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

पत्रांक: सबप/अ०छा०क०/2021/9664
दिनांक : 16.10.2021

कार्यालय आदेश


सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ की अनुशासन समिति की संस्तुति एवं सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के क्रम में श्री हर्षित पाण्डेय, आई० डी० सं० 5229, बी०एस०सी० (कृषि) द्वितीय वर्ष, टाईप-I, ए० ब्लाक छात्रावास को विश्वविद्यालय के नियमों-परिनियमों {Academic Regulations- Chapter-III-Section 50(A)-(b), (j), (k), (l), (o), (r) & (s)} का उल्लंघन कर नियम विरुद्ध स्कूटी/मोटर सायकिल रखने, ज़राब आदि के खरीद एवं सेवन आदि में लिप्त होने, रात्री के समय में बैठक कर पढ़यन्त्र करने, अन्य छात्रों के अध्ययन में बाधा करने, चोर तरीकों/रास्तों से बिना अनुमति एवं सूचना के विश्वविद्यालय कैम्पस छोड़ने, झूठे एवं विरोधाभासी कथन करने, तथ्यों को छिपाने व व्यवस्था के उल्लंघन आदि का दोषी पाये जाते हुए सक्षम स्तर से Academic Regulations- Chapter-III-Section 50(B)-(f) में निहित प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत श्री हर्षित पाण्डेय, आई० डी० सं० 5229 को निम्न दण्ड प्रदान किये जाते हैं :-

1. सत्र 2021-22 के प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के लिए विश्वविद्यालय से निष्कासित (Temporary Dismissal) किये जाते हैं ।
 2. छात्रावास से शेष पाठ्यक्रम हेतु निष्कासित किये जाते हैं ।
 3. विश्वविद्यालय में परमानेंट सी०पी० (कन्डक्ट प्रोवेशन) पर रहेंगे ।
 4. तत्काल प्रभाव से विश्वविद्यालय परिसर छोड़ना होगा ।
 5. ऐसे कृत्यों की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए कड़ी चेतावनी दी जाती है ।
- यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त जारी किया जा रहा है ।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपि:

1. सगस्त सूचना पट ।
2. छात्रावास अधीक्षक डा० वी० के० सिंह को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश का छात्र द्वारा तुरन्त पालन कराकर विश्वविद्यालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।
3. सुरक्षा अधिकारी को सूचनार्थ ।
4. छात्र सलाहकार डा० दान सिंह, प्राध्यापक को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को अपने स्तर से भी छात्र एवं छात्र के अभिभावक के संज्ञान में लायें ।
5. अधिष्ठाता, कृषि/जैव प्रौद्योगिकी/पशुचिकित्सा/स्नात्कोत्तर/उद्यान/तकनीकी/पोस्ट हारवेस्ट टेक्नोलोजी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
6. वित्त नियन्त्रक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. कुलसचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. छात्र के अभिभावक श्री राजेश पाण्डेय, House No. 03, Village Bahuta Sujangir, Post Office- Suriyawa, Distt. Bhadoi (Sant Rabidas Nagar) Pin Code 221404 U.P. को सूचनार्थ ।
9. निजी सहायक को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ ।


अधिष्ठाता छात्र कल्याण

S.V.P. Uni. of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)

24



कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
मेरठ - 250 110 (उ०प्र०)

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

पत्रांक: सवप/अ०छा०क०/2021/9663
दिनांक : 16.10.2021

कार्यालय आदेश

सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ की अनुशासन समिति की संस्तुति एवं सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के क्रम में श्री सचिन गौतम, आई०डी० सं० 5220, बी०एस०सी० (कृषि) द्वितीय वर्ष, वर्कशॉप-1, ए० ब्लाक छात्रावास को विश्वविद्यालय के नियमों-परिनियमों {Academic Regulations- Chapter-III-Section 50(A)-(b), (j), (k), (l), (o), (r) & (s)} का उल्लंघन कर नियम विरुद्ध स्कूटी/मोटर सायकिल रखने, शराब आदि के खरीद एवं सेवन आदि में लिप्त होने, रात्री के समय में बैठक कर षडयन्त्र करने, अन्य छात्रों के अध्ययन में बाधा करने, चोर तरीकों/रास्तों से बिना अनुमति एवं सूचना के विश्वविद्यालय कैम्पस छोड़ने, झूठे एवं विरोधाभासी कथन करने, तथ्यों को छिपाने व व्यवस्था के उल्लंघन आदि का दोषी पाये जाते हुए सक्षम स्तर से Academic Regulations- Chapter-III-Section 50(B)-(f) में निहित प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत श्री सचिन गौतम, आई०डी० सं० 5220 को निम्न दण्ड प्रदान किये जाते हैं :-

1. सत्र 2021-22 के प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के लिए विश्वविद्यालय से निष्कासित (Temporary Dismissal) किये जाते हैं ।
2. छात्रावास से शेष पाठ्यक्रम हेतु निष्कासित किये जाते हैं ।
3. विश्वविद्यालय में परमानेंट सी०पी० (कन्डक्ट प्रोबेशन) पर रहेंगे ।
4. तत्काल प्रभाव से विश्वविद्यालय परिसर छोड़ना होगा ।
5. ऐसे कृत्यों की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए कड़ी चेतावनी दी जाती है ।

यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त जारी किया जा रहा है ।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपि:

1. सनस्त सूचना पट ।
2. छात्रावास अधीक्षक डा० वी० के० सिंह को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश का छात्र द्वारा तुरन्त पालन कराकर विश्वविद्यालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।
3. सुव्हा अधिकारी को सूचनार्थ ।
4. छात्र सलाहकार डा० वी०के० सिंह, सह प्राध्यापक को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को अपने स्तर से भी छात्र एवं छात्र के अभिभावक के संज्ञान में लायें ।
5. अधिष्ठाता, कृषि/जैव प्रौद्योगिकी/पशुचिकित्सा/स्नात्कोत्तर/उद्यान/तकनीकी/पोस्ट ग्राजुएट टेक्नोलोजी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
6. वित्त नियन्त्रक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. कुलसचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. छात्र के अभिभावक श्री वेद प्रकाश गौतम, 128, गौशाला नगर, वृंदावन, पो० बोंके बिहारी, जनपद मथुरा 281121 को सूचनार्थ ।
9. निजी सहायक को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ ।

Registrar
S.V.P. Uni. of Agriculture
Meerut-250110 (U.P.)

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
मेरठ - 250 110 (उ०प्र०)

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

पत्रांक: सवप/अ०छा०क०/2023/10465
दिनांक : 13.02.2023

कार्यालय आदेश

मनीष कुमार, आई०डी० सं० 5138, बी०टेक (बायोटेक), तृतीय वर्ष,

सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ की अनुशासन समिति की संस्तुति एवं सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त छात्र मनीष कुमार, आई०डी० सं० 5138, बी०टेक (बायोटेक), तृतीय वर्ष को महाविद्यालय एवं छात्रावास में अनुशासनहीनता करने एवं विश्वविद्यालय नियमों का उल्लंघन करने के दृष्टिगत निम्नानुसार दण्डित किया गया है :-

- शेष डिग्री प्रोग्राम हेतु छात्रावास से स्थाई निष्कासन ।
- शेष डिग्री प्रोग्राम हेतु छात्र अपने अभिभावक के साथ उनकी देख-रेख में रखकर अपना पठन-पाठन का कार्य पूर्ण करेगा ।
- भविष्य में किसी भी प्रकार के आत्मघाती कदम उठाने पर विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा ।
- छात्र को आगामी सेमेस्टर के लिए कन्डक्ट प्रोवेशन (सी०पी०) पर रखा जाता है ।
- विश्वविद्यालय में पुनः प्रवेश करने से पहले छात्र के अभिभावक एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे कि छात्र उनकी देख-रेख में रहेगा ।
- विश्वविद्यालय में छात्र के प्रवेश करने पर यदि पुनः वही अनुशासन हीनता की जाती है तो उसे पूरे सेमेस्टर के लिए निष्कासित किया जायेगा ।

यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त जारी किया जा रहा है ।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपि:

1. सनस्त सूचना पट ।
2. छात्र सलाहकारों को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को अपने स्तर से भी छात्र के अभिभावकों के संज्ञान में अनिवार्य रूप से लायें ।
3. छात्रावास अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. सुरक्षा अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. सह अधिष्ठाता छात्र कल्याण (छात्रावास) को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
6. अधिष्ठाता, कृषि/जैव प्रौद्योगिकी/पशुचिकित्सा/स्नातकोत्तर/उद्यान/पोस्ट हारवेस्ट/तकनीकी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. कुलसचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. निजी सहायक को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ ।

R

Handwritten Signature
13/2/2023
अधिष्ठाता छात्र कल्याण

Registrar

S.V.P. Univ. of Agri. & T.
Meerut-250110 (U.P.)

20



कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
मेरठ - 250 110 (उ०प्र०)

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

पत्रांक: सवप/अ०छा०क०/2023/10577
दिनांक : 24.04.2023

कार्यालय आदेश

श्री रवी गोस्वामी, आई० डी० सं० 6514, बी०एस०सी० (कृषि) प्रथम वर्ष

दिनांक 11.04.2023 को Elementary of Mathematics (UGR 113) की सैमेस्टर फाइनल परीक्षा में नकल करते हुये आपको एकेडमिक रेगुलेशन के Chapter 4 के पैरा 38 में वर्णित Use of Unfair Means के अन्तर्गत दोषी पाये जाने पर केन्द्रीय अनुशासन समिति की संस्तुति एवं समक्ष अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त एकेडमिक रेगुलेशन के Chapter 4 के पैरा 38 के विन्दु सं० 9 में दी गई व्यवस्था के अन्तर्गत आपको वर्तमान (शैक्षणिक सत्र 2022-23 द्वितीय सैमेस्टर) एवं आगामी सैमेस्टर (शैक्षणिक सत्र 2023-24 प्रथम सैमेस्टर) हेतु विश्वविद्यालय से Debarred किया जाता है।

यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त जारी किया जाता है।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपि:

1. समस्त सूचना पट।
2. डा० देश दीपक, छात्रावास अधीक्षक, पटेल भवन छात्रावास को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश का छात्रों द्वारा तुरन्त पालन कराकर अधोहस्ताक्षरी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
3. छात्र सलाहकार डा० एस०के० सिंह को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को आने स्तर से भी छात्र के संज्ञान में लायें।
4. सुरक्षा अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अधिष्ठाता, कृषि/जैव प्रौद्योगिकी/पशुचिकित्सा/स्नात्कोत्तर/उद्यान/तकनीकी/पोस्ट. हारवेस्ट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वित्त नियन्त्रक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. कुलसचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. निजी सहायक को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

Ⓟ

Registrar
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)

अधिष्ठाता छात्र कल्याण
24/4/23



कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
मेरठ - 250 110 (उ०प्र०)

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

पत्रांक: सवप/अ०छा०क०/2023/19536
दिनांक : 24.04.2023

कार्यालय आदेश

श्री कपिल कुमार, आई० डी० रा० 8519, बी०एरा०सी० (कृषि) प्रथम वर्ष

दिनांक 11.04.2023 को Elementary of Mathematics (UGR 113) की सैमेस्टर फाइनल परीक्षा में नकल करते हुये आपको एकेडमिक रेगुलेशन के Chapter 4 के पैरा 38 में वर्णित Use of Unfair Means के अन्तर्गत दोषी पाये जाने पर केन्द्रीय अनुशासन समिति की संस्तुति एवं सम्बन्ध अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त एकेडमिक रेगुलेशन के Chapter 4 के पैरा 38 के विन्दु सं० 9 में दी गई व्यवस्था के अन्तर्गत आपको वर्तमान (शैक्षणिक सत्र 2022-23 द्वितीय सैमेस्टर) एवं आगामी सैमेस्टर (शैक्षणिक सत्र 2023-24 प्रथम सैमेस्टर) हेतु विश्वविद्यालय से Debarred किया जाता है।

यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त जारी किया जाता है।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपि:

1. समस्त सूचना पट।
2. डा० देश दीपक, छात्रावास अधीक्षक, पटेल भवन छात्रावास को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश का छात्रों द्वारा तुरन्त पालन कराकर अधोहस्ताक्षरी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
3. छात्र सलाहकार डा० अतर सिंह को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को आने स्तर से भी छात्र के संज्ञान में लायें।
4. सुरक्षा अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अधिष्ठाता, कृषि/जैव प्रौद्योगिकी/पशुचिकित्सा/स्नातकोत्तर को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतु।
6. वित्त नियन्त्रक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. कुलसचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. निजी सहायक को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

Q

Registrar
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)

Chugh
अधिष्ठाता छात्र कल्याण
24/4/2023

28



कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
मेरठ - 250 110 (उ०प्र०)

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

पत्रांक: सवप/अ०छा०क०/2019/844
दिनांक : 04.05.2019

कार्यालय आदेश


श्री हृदेश चन्द्र, आई० डी० सं० 3502, बी०टेक (बायोटेक)

आपको अवगत कराना है कि आपके द्वारा माननीय कुलपति जी को सम्बोधित मॉफीनामा आवेदन में परमानेन्ट कन्डक्ट प्रोवेशन (सी०पी०) हटाये जाने हेतु अनुरोध किया था। जिस पर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त दिनांक 03.05.2019 से परमानेन्ट कन्डक्ट प्रोवेशन (सी०पी०) को निरस्त किया जाता है।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपि:

1. समस्त सूचना पट।
2. छात्रावास अधीक्षक डा० अमित कुमार एवं डा० कौशलेश रंजन को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश का छात्रों द्वारा तुरन्त पालन कराकर अधोहस्ताक्षरी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
3. छात्र सलाहकार डा० आकाश तोमर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को आने स्तर से भी छात्र के संज्ञान में लायें।
4. सुरक्षा अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अधिष्ठाता, कृषि/जैव प्रौद्योगिकी/पशुचिकित्सा/स्नात्कोत्तर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वित्त नियन्त्रक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. कुलसचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. निजी सहायक को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।


अधिष्ठाता छात्र कल्याण



Registrar
S.V.P. Unit of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)



काय छात्र कल्याण
सरदार वल्लभभाई कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
मेरठ - 250 110 (उ०प्र०)


अधिष्ठाता छात्र कल्याण

पत्रांक: सवप/अ०छा०क०/2019/8329
दिनांक : 25.02.2019

कार्यालय आदेश

सिन्धु चौहान, आईडी० सं० 3861, बी० टेक० (बायोटेक)

आप दिनांक 01.09.2018 को अपरान्ह 01:30 बजे से दिनांक 05.09.2018 तक बिना सूचना (गेटपास) छात्रावास से अनुपस्थिति पाई गई। छात्रावास अधीक्षिका के शिकायत पत्र के आधार पर अनुशासन समिति की संस्तुति एवं सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त आपको विश्वविद्यालय एवं छात्रावास नियमों के अन्तर्गत दो सैमेस्टर की सी०पी० (कन्डक्ट प्रोवेशन) एवं कड़ी चेतावनी दी जाती है तथा आप अपने पिता की बीमारी से सम्बन्धित मेडीकल प्रपत्रों की सत्यापित प्रतिया तथा अनिमावक से 10 रू० के स्टाम्प पेपर पर भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न करने का शपथ पत्र जमा करेंगे।



अधिष्ठाता छात्र कल्याण


प्रतिलिपि:

1. समस्त सूचना पट।
2. छात्रावास अधीक्षिका डा० विनीता वर्मा को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश का छात्रों द्वारा तुरन्त पालन कराकर अधोहस्ताक्षरी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
3. छात्र सलाहकार डा० जितेन्द्र सिंह को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को आने स्तर से भी छात्रा के संज्ञान में लायें।
4. सुरक्षा अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अधिष्ठाता, कृषि/जैव प्रौद्योगिकी/पशुचिकित्सा/स्नातकोत्तर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वित्त नियन्त्रक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. कुलसचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. निजी सहायक को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

27/2/19

27.02.19


अधिष्ठाता छात्र कल्याण


28/2
27/2/19
27/2/19
27/2/19

Registrar
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)

30



नय अधिष्ठाता छात्र कल्याण
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
मेरठ - 250 110 (उ०प्र०)

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

पत्रांक: सवप/अ०छा०क०/2019/४३२९
दिनांक : 25.02.2019

कार्यालय आदेश

वन्दना पटेल, आई० डी० सं० 3825, बी०एस०सी० (कृषि) द्वितीय वर्ष.

आप दिनांक 25.11.2018 को अपराह्न 12:10 बजे से रात्री 10:20 तक छात्रावास से अनुपस्थिति रही छात्रावास अधीक्षिका के शिकायत पत्र के आधार पर अनुशासन समिति की संस्तुति एवं सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त आपको विश्वविद्यालय एवं छात्रावास नियमों के अर्न्तगत दो सेमेस्टर की सी०पी० (कन्डक्ट प्रोवेशन) एवं कड़ी चेतावनी दी जाती है तथा आप अपने अभिभावक से 10 ₹० के स्टाम्प पेपर पर भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न करने का शपथ पत्र जमा करेंगे ।

[Signature]
25/2/19
अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपि:

1. समस्त सूचना पट।
2. छात्रावास अधीक्षिका डा० विनीता वर्मा को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश का छात्रों द्वारा तुरन्त पालन कराकर अधोहस्ताक्षरी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।
3. छात्र सलाहकार डा० अर्चना भटनागर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को आने स्तर से भी छात्रा के संज्ञान में लायें ।
4. सुरक्षा अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. अधिष्ठाता, कृषि/जैव प्रौद्योगिकी/पशुचिकित्सा/स्नात्कोत्तर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
6. वित्त नियन्त्रक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. कुलसचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. निजी सहायक को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ ।

or

27/02/19

27.02.19

[Signature]
27/2/19
अधिष्ठाता छात्र कल्याण

[Signature]
27/2/19

[Signature]
27/02/19

[Signature]
27/2/19

①

Registrar
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)

28/2/2019

28/2/19

31



कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
मेरठ - 250 110 (उ०प्र०)

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

पत्रांक: सयप/अ०छा०क०/2019/०३२३
दिनांक: 25.02.2019

कार्यालय आदेश

श्री गुनब्वर चौहान, आई० डी० सं० 3478, बी०टेक (बायोटेक)

आपके द्वारा छात्रा नेहा मलिक, आई० डी० सं० 3908, एम०एस०सी० (बायोटेक) द्वितीय वर्ष के साथ किराना मेला में अभद्र व्यवहार करने पर अनुशासन समिति की संस्तुति एवं सहाय अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की अनुशासन हीनता में सम्मिलित न होने की कड़ी चेतावनी दी जाती है। यदि आप पुनः इस प्रकार की गतिविधियों में संलग्न पाये जाते हैं तो आपके के साथ विश्वविद्यालय नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

Anil Kumar
अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपि:

1. समस्त सूचना पट।
2. छात्र सलाहकार डॉ० पंकज चौहान को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को आने स्तर से भी छात्र के संज्ञान में लाये।
3. सुरक्षा अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. अधिष्ठाता, कृषि/जैव प्रौद्योगिकी/पशुचिकित्सा/स्नातकोत्तर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. विस्तार नियन्त्रक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. कुलसचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. निजी सहायक को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

Ali
27.02.19

27/2

Anil Kumar
अधिष्ठाता छात्र कल्याण

[Signature]
27/2/19

[Signature]
27/2/19

[Signature]
27.02.19

[Signature]
27/2/19

Registrar
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)



कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
मेरठ - 250 110 (उ०प्र०)

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

पत्रांक: सवप/अ०छा०क०/2019/०३२६
दिनांक : 25.02.2019

कार्यालय आदेश

श्री करन सिंह, आई० डी० सं० 4083, बी०एस०सी० (कृषि) प्रथम वर्ष
श्री शशीकान्त, आई० डी० सं० 4089, बी०एस०सी० (कृषि) प्रथम वर्ष

आपके द्वारा विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा में दिनांक 18.12.2018 को द्वितीय पारी में कक्षा निरीक्षक (डा० दीपक सिसौदिया एवं डा० अर्चना वर्मा) द्वारा नकल करते पाये जाने पर परीक्षा अनुभाग, कृषि महाविद्यालय द्वारा की गई शिकायत पर अनुशासन समिति की संस्तुति एवं अनुमोदन उपरान्त आपको शैक्षणिक सत्र 2018-19 के प्रथम सैमेस्टर को निरस्त (Debarred) किया जाता है।

Harinder
अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपि:

1. समस्त सूचना पट।
2. छात्रावास अधीक्षक डा० जितिन एम०वी० को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश का छात्रों द्वारा तुरन्त पालन कराकर अग्रहस्ताक्षरी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
3. छात्र सलाहकार डा० अतर सिंह एवं डा० सतेन्द्र कुमार को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को आने स्तर से भी छात्र के संज्ञान में लायें।
4. सुरक्षा अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अधिष्ठाता, कृषि/जैव प्रौद्योगिकी/पशुचिकित्सा/स्नातकोत्तर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वित्त नियन्त्रक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. कुलसचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. निजी सहायक को माननीय कुलपति जी के अवलोकनाय।

Harinder
27/2/19

सहायक

Harinder
अधिष्ठाता छात्र कल्याण

Harinder
27.02.19

Harinder
27/2/19

Harinder
27/2/19

Harinder
28/2/19

Harinder
28/2/19

Registrar
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)



कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
मेरठ - 250 110 (उ०प्र०)

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

पत्रांक: सवप/अ०छा०क०/2018/६०.75
दिनांक: 14.11.2018

कार्यालय आदेश

श्री प्रभात गंगवार, आई० डी० सं० 3450, बी०टेक (बायोटेक)
श्री अनिपेक चहार, आई० डी० सं० 3490, बी०टेक (बायोटेक)

श्री प्रभात गंगवार, आई० डी० सं० 3450, बी०टेक (बायोटेक) एवं श्री अनिपेक चहार, आई० डी० सं० 3490, बी०टेक (बायोटेक) द्वारा टैगोर भवन छात्रावास में प्रतिबन्धित नद्य पदार्थों में संलिप्त होने तथा श्री सौरभ सिंह, आई० डी० सं० 3492, बी०टेक (बायोटेक) के साथ गाली-गलौच एवं मारपीट के प्रकरण में दोषी पाये जाने एवं विश्वविद्यालय अनुशासन नियमों का उल्लंघन करने पर अनुशासन समिति की संस्तुति एवं सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त श्री प्रभात गंगवार, आई० डी० सं० 3450, बी०टेक (बायोटेक) एवं श्री अनिपेक चहार, आई० डी० सं० 3490, बी०टेक (बायोटेक) को विश्वविद्यालय के छात्रावास से शेष पाठ्यक्रम हेतु निष्कासन एवं परमानेंट कन्डक्ट प्रोवेशनपर (सी० पी०) पर रखे जाने का आदेश दिया जाता है।

[Signature]
अधिष्ठाता छात्र कल्याण
14/11/18

प्रतिलिपि:

1. समस्त सूचना पट।
1. छात्रावास अधीक्षक डा० अनित कुमार एवं डा० कौशलेश रंजन को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश का छात्रों द्वारा तुरन्त पालन कराकर अधोहस्ताक्षरी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
2. छात्र सलाहकार डा० पंकज कुमार एवं डा० वितेन्द्र सिंह को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को आने स्तर से भी छात्रों के संज्ञान में लायें।
3. सुरक्षा अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. अधिष्ठाता, कृषि/जैव प्रौद्योगिकी/पशुचिकित्सा/स्नातकोत्तर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. वित्त नियन्त्रक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. कुलसचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. निजी सहायक को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

[Signature]
14/11/18

[Signature]
14/11/18

[Signature]
14/11/18

[Signature]
अधिष्ठाता छात्र कल्याण
14/11/18

[Signature]
14/11/18

[Signature]
14/11/18

[Signature]
14/11/18

[Signature]
14/11/18

Registrar
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech.
Meerut-250110



कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
मेरठ - 250 110 (उ०प्र०)

890

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

पत्रांक: रावप/अ०छा०क०/2018/8974
दिनांक: 14.11.2018

कार्यालय आदेश

रोगित कुमार, आई० डी० रा० 3320, बी०टेक (बायोटेक), टैगोर भवन छात्रावास
प्रभात यादव, आई० डी० रा० 3454, बी०टेक (बायोटेक), टैगोर भवन छात्रावास
राधिन कुमार गुप्ता, आई० डी० रा० 3908, बी०टेक (बायोटेक), टैगोर भवन छात्रावास
अरुण कुमार, आई० डी० रा० 2588, पी०एच० डी०, डा० हरगोविन्द खुराना छात्रावास
अरविन्द सिंह, आई० डी० रा० 3708, पी०एच० डी०, डा० हरगोविन्द खुराना छात्रावास
अंकित सिंह यादव, आई० डी० रा० 1348, पी०एच० डी०, डा० हरगोविन्द खुराना छात्रावास

श्री रोगित कुमार, आई० डी० रा० 3320, बी०टेक (बायोटेक), श्री प्रभात यादव, आई० डी० रा० 3454, बी०टेक (बायोटेक), श्री राधिन कुमार गुप्ता, आई० डी० रा० 3908, बी०टेक (बायोटेक), श्री अरुण कुमार, आई० डी० रा० 2588, पी०एच० डी०, श्री अरविन्द सिंह, आई० डी० रा० 3708, पी०एच० डी०, श्री अंकित सिंह यादव, आई० डी० रा० 1348, पी०एच० डी० द्वारा छात्रावास की शुल्क समय से जमा न किये जाने के प्रकरण में दोषी पाये जाने पर अनुशासन समिति की संस्तुति एवं सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त आप सभी को कड़ी चेतावनी का दण्ड दिया जाता है।

यदि भविष्य में उपरोक्त छात्रों द्वारा पुनः उक्त पुनरावृत्ति की जाती है तो समिति उन पर दण्डात्मक कार्यवाही की संस्तुति प्रदान करेगी।

[Signature]
अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपि:

1. समस्त सूचना पट।
2. टैगोर भवन छात्रावास अधीक्षक डा० अमित कुमार एवं डा० कौशलेश रंजन को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को आने स्तर से भी छात्रों के संज्ञान में लायें।
3. डा० हरगोविन्द खुराना छात्रावास अधीक्षक डा० अमित कुमार, को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को आने स्तर से भी छात्रों के संज्ञान में लायें।
4. छात्र सुलाहकार डा० पंकज चौहान, डा० शालिनी गुप्ता, डा० जितेन्द्र सिंह, डा० आर०एस० सेंगर, डा० गजे सिंह एवं डा० आर०एन० यादव को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को आने स्तर से भी छात्रों के संज्ञान में लायें।
5. अधिष्ठाता, कृषि/जैव प्रौद्योगिकी/पशुचिकित्सा/स्नात्कोत्तर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वित्त नियन्त्रक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. कुलसचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. निजी सहायक को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

[Signature]
14/11/18

[Signature]
14/11/18

[Signature]
14/11/18

[Signature]
14/11/18

[Signature]
14-11-18

[Signature]
अधिष्ठाता छात्र कल्याण



कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
मेरठ - 250 110 (उ०प्र०)


अधिष्ठाता छात्र कल्याण

पत्रांक: सबप/अ०छा०क०/2018/822
दिनांक : 14.11.2018

कार्यालय आदेश

श्री सुभम त्यागी, आई० डी० सं० 3329, बी०टेक (बायोटेक)

श्री सुभम त्यागी, आई० डी० सं० 3329, बी०टेक (बायोटेक) द्वारा छात्रावास में प्रतिबन्धित मद्य पदार्थों में संलिप्त होने के प्रकरण में दोषी पाये जाने एवं विश्वविद्यालय अनुशासन नियमों का उल्लंघन करने पर अनुशासन समिति की संस्तुति एवं सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त आपको विश्वविद्यालय के छात्रावास से शेष पाठ्यक्रम हेतु निष्कासन एवं परमानेंट कन्डक्ट प्रोवेंशनपर (सी० पी०) पर रखने का आदेश दिया जाता है।



अधिष्ठाता छात्र कल्याण


प्रतिलिपि:


1. समस्त सूचना पट।
2. छात्रावास अधीक्षक डा० अनित कुमार एवं डा० कौशलेश रंजन को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश का छात्र द्वारा तुरन्त पालन कराकर अधोहस्ताक्षरी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
3. सुरक्षा अधिकारी को सूचनार्थ।
4. छात्र सलाहकार डा० रविन्द्र कुमार को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को आने स्तर से भी छात्र के संज्ञान में लायें।
5. अधिष्ठाता, कृषि/जैव प्रौद्योगिकी/पशुचिकित्सा/स्नातकोत्तर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वित्त नियन्त्रक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. कुलसचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. निजी सहायक को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।


अधिष्ठाता छात्र कल्याण


14/11/18.





Registrar
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)



कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
मेरठ - 250 110 (उ०प्र०)



अधिष्ठाता छात्र कल्याण


पत्रांक: सवप/अ०छा०क०/2018/8971.
दिनांक : 14.11.2018

कार्यालय आदेश

श्री आकाश कुमार राना, आई० डी० सं० 3328, बी०टेक (बायोटेक)


श्री आकाश कुमार राना, आई० डी० सं० 3328, बी०टेक (बायोटेक) द्वारा विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर सुरक्षा कर्मियों को साथ गलत शब्दावली का प्रयोग करने के प्रकरण में दोषी पाये जाने एवं विश्वविद्यालय अनुशासन नियमों का उल्लंघन करने पर अनुशासन समिति की संस्तुति एवं सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त आपको कड़ी चेतावनी का दण्ड दिया जाता है।

यदि भविष्य में छात्र द्वारा पुनः उक्त पुनरावृत्ति की जाती है तो समिति उन पर दण्डात्मक कार्यवाही की संस्तुति प्रदान करेगी।


अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपि:

1. समस्त सूचना पट।
2. छात्रावास अधीक्षक डा० अमित कुमार एवं डा० कौशलेश रंजन को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को आने स्तर से भी छात्रों के संज्ञान में लायें।
3. सुरक्षा अधिकारी को सूचनार्थ।
4. छात्र सलाहकार डा० जितेन्द्र सिंह को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को आने स्तर से भी छात्र के संज्ञान में लायें।
5. अधिष्ठाता, कृषि/जैव प्रौद्योगिकी/पशुचिकित्सा/स्नातकोत्तर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वित्त नियन्त्रक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. कुलसचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. निजी सहायक को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।


अधिष्ठाता छात्र कल्याण


Mohit 14/11/18
Saurani 12
14/11/18
Kavita 19/11/18

R

Registrar
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)



कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
मेरठ - 250 110 (उ०प्र०)




अधिष्ठाता छात्र कल्याण

पत्रांक: सवप/अ०छा०क०/2018/8०12
दिनांक : 14.11.2018

कार्यालय आदेश


श्री हृदेश चन्द्रा, आई० डी० सं० 3502, बी०टेक (बायोटेक)

श्री हृदेश चन्द्रा, आई० डी० सं० 3502, बी०टेक (बायोटेक) द्वारा टैगोर भवन छात्रावास में अनाधिकृत रूप से कक्ष में निवास करते हुये मोबाइल पर अपने अभिभावक के साथ छात्रावास अधीक्षक को अनमद्र भाषा का प्रयोग करने के प्रकरण में दोषी पाये जाने एवं विश्वविद्यालय एवं छात्रावास अनुशासन नियमों का उल्लंघन करने पर अनुशासन समिति की संस्तुति एवं सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त आप को विश्वविद्यालय के छात्रावास से शेष पाठ्यक्रम हेतु निष्कासन एवं परमानेंट कन्डक्ट प्रोवेशनपर (सी० पी०) पर रखे जाने का आदेश दिया जाता है ।


अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपि:

1. समस्त सूचना पट।
2. छात्रावास अधीक्षक डा० अमित कुमार एवं डा० कौशलेश रंजन को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश का छात्र द्वारा तुरन्त पालन कराकर अधोहस्ताक्षरी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
2. छात्र सलाहकार डा० आकाश तौमर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को आने स्तर से भी छात्र के संज्ञान में लायें।
3. सुरक्षा अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. अधिष्ठाता, कृषि/जैव प्रौद्योगिकी/पशुचिकित्सा/स्नातकोत्तर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. वित्त नियन्त्रक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. कुलसचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. निजी सहायक को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।


अधिष्ठाता छात्र कल्याण


Registrar
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)



14/11/18



14/11/18


14/11/18





14/11/18


14/11/18


14/11/18

Received
By Neha


14/11



कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
मेरठ - 250 110 (उ०प्र०)

342

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

पत्रांक: सवप/अ०छा०क०/2017/7106
दिनांक : 29.07.2018

कार्यालय आदेश

श्री अनुजपाल, आई०डी० सं० 1749, एम०एस०सी० (कृषि) का वार्षिक खेल-कूद प्रतियोगिता, 2017 के अर्न्तगत जैवलिंग धो का मेडल अनुशासन समिति की संस्तुति एवं सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त निरस्त किया जाता है।

Handwritten signature
अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपि:

1. समस्त सूचना पट।
2. छात्र सलाहकार डा० योगेश कुमार, उद्यान विभाग, को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को आने स्तर से भी छात्रों के संज्ञान में लायें।
3. डा० अतुल गुप्ता, डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम छात्रावास अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. अधिष्ठाता, पशुचिकित्सा/कृषि/जैव प्रौद्योगिकी/स्नातकोत्तर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. कुलसचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. निजी सहायक को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

o/c

Handwritten signature
अधिष्ठाता छात्र कल्याण

Handwritten signatures and dates:
31/7/2018
31/7/2018
31/7/2018

समि
31/07/2018

Handwritten signature

Handwritten signature

Registrar
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)



कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
मेरठ - 250 110 (उप्र)

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

पत्रांक: सवप/अ0छा0क0/2023/0578
दिनांक : 29.05.2023

कार्यालय आदेश

श्री पवन कुमार निराला, आई0डी0 सं0 4988, बी0एस0सी0 (उद्यान), तृतीय वर्ष

श्री पवन कुमार निराला, आई0डी0 सं0 4988, को विश्वविद्यालय परिसर में अनुशासन हीनता करने एवं विश्वविद्यालय नियमों का उल्लंघन करने के दृष्टिगत अनुशासन समिति की संस्तुति एवं सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त निम्नानुसार दण्डित किया गया है :-

- शैक्षणिक सत्र 2022-23 के द्वितीय सैमेस्टर एवं शैक्षणिक सत्र 2023-24 के प्रथम सैमेस्टर हेतु कन्डक्ट प्रोवेशन ।
- भविष्य में इस प्रकार के कृत्य न करने के लिए कड़ी चेतावनी ।

यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त जारी किया जा रहा है ।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपि:

1. समस्त सूचना पट ।
2. छात्र के परामर्शदाता को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को अपने स्तर से भी छात्र के अनिर्भावको के संज्ञान में अनिवार्य रूप से लायें ।
3. छात्रावास अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. सुरक्षा अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. सह अधिष्ठाता छात्र कल्याण (छात्रावास) को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
6. अधिष्ठाता, कृषि/जैव प्रौद्योगिकी/पशुचिकित्सा/स्नात्कोत्तर/उद्यान/पोस्ट हारवेस्ट/तकनीकी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. कुलसचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. निजी सहायक को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ ।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

Registrar
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)



कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
मेरठ - 250 110 (उ०प्र०)

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

पत्रांक: सवप/अ०छा०क०/2023/10599
दिनांक : 29.05.2023

कार्यालय आदेश

श्री कार्तिक चौधरी, आई०डी० सं० 4108, एम०एस०सी० (उद्यान), प्रथम वर्ष

श्री कार्तिक चौधरी, आई०डी० सं० 4108 को विश्वविद्यालय परिसर में अनुशासन हीनता करने एवं विश्वविद्यालय नियमों का उल्लंघन करने के दृष्टिगत अनुशासन समिति की संस्तुति एवं सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त निम्नानुसार दण्डित किया गया है :-


- शैक्षणिक सत्र 2022-23 के द्वितीय सैमिस्टर एवं शैक्षणिक सत्र 2023-24 के प्रथम सैमिस्टर हेतु कन्डक्ट प्रॉवेशन (सी०पी०) ।
- भविष्य में इस प्रकार के कृत्य न करने के लिए कड़ी चेतावनी ।

यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त जारी किया जा रहा है।

प्रतिलिपि:

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

1. समस्त सूचना पट ।
2. छात्र के परामर्शदाता को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को अपने स्तर से भी छात्र अभिभावकों के संज्ञान में अनिवार्य रूप से लायें।
3. छात्रावास अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. सुरक्षा अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. सह अधिष्ठाता छात्र कल्याण (छात्रावास) को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
6. अधिष्ठाता, कृषि/जैव प्रौद्योगिकी/पशुचिकित्सा/स्नातकोत्तर/उद्यान/पोस्ट हारवेस्ट/तकनीकी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. कुलसचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. निजी सहायक को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ ।


अधिष्ठाता छात्र कल्याण
 R

Registrar
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)

41



कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
मेरठ - 250 110 (उ०प्र०)

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

पत्रांक: सवप/अ०छा०क०/2023/10600
दिनांक : 29.5.2023

कार्यालय आदेश

श्री अभिषेक घनकर, आई०डी० सं० 4104, एम०एस०सी० (उद्यान), प्रथम वर्ष

श्री अभिषेक घनकर, आई०डी० सं० 4104 को विश्वविद्यालय परिसर में अनुशासन हीनता करने एवं विश्वविद्यालय नियमों का उल्लंघन करने के दृष्टिगत अनुशासन समिति की संस्तुति एवं सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त निम्नानुसार दण्डित किया गया है :-

- शैक्षणिक सत्र 2022-23 के द्वितीय सैमेस्टर एवं शैक्षणिक सत्र 2023-24 के प्रथम सैमेस्टर हेतु कन्डक्ट प्रोवेशन (सी०पी०) ।
- भविष्य में इस प्रकार के कृत्य न करने के लिए कड़ी चेतावनी ।

यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त जारी किया जा रहा है ।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपि:

1. समस्त सूचना पट ।
2. छात्र के परामर्शदाता को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को अपने स्तर से भी छात्र के अभिभावकों के संज्ञान में अनिवार्य रूप से लायें ।
3. छात्रावास अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कग्रवही हेतु ।
4. सुरक्षा अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. सह अधिष्ठाता छात्र कल्याण (छात्रावास) को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
6. अधिष्ठाता, कृषि/जैव प्रौद्योगिकी/पशुचिकित्सा/स्नात्कोत्तर/उद्यान/पोस्ट हारवेस्ट/तकनीकी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. कुलसचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. निजी सहायक को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ ।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण
29/5/2023

Registrar
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)



कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
मेरठ - 250 110 (उ०प्र०)

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

पत्रांक: सदप/अ०छा०क०/2023//०६०।
दिनांक : 29.05.2023

कार्यालय आदेश

श्री ज्ञान सिरोही, आई०डी० सं० 6462, पी०एच०डी० इन्टोमोलोजी, प्रथम वर्ष

श्री ज्ञान सिरोही, आई०डी० सं० 6462, पी०एच०डी० इन्टोमोलोजी, प्रथम वर्ष को विश्वविद्यालय परिसर में अनुशासन हीनता करने एवं विश्वविद्यालय नियमों का उल्लंघन करने के दृष्टिगत अनुशासन समिति की संस्तुति एवं सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त निम्नानुसार दण्डित किया गया है :-

- शैक्षणिक सत्र 2022-23 के द्वितीय सैमेस्टर हेतु कन्डक्ट प्रॉवेशन (सी०पी०) ।
- भविष्य में इस प्रकार के कृत्य न करने के लिए कड़ी चेतावनी ।

यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त जारी किया जा रहा है ।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपि:

1. समस्त सूचना पट ।
2. छात्र के परामर्शदाता को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को अपने स्तर से भी छात्र के अभिभावकों के संज्ञान में अनिवार्य रूप से लायें ।
3. छात्रावास अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कर्मवाही हेतु ।
4. सुरक्षा अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. सह अधिष्ठाता छात्र कल्याण (छात्रावास) को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
6. अधिष्ठाता, कृषि/जैव प्रौद्योगिकी/पशुचिकित्सा/स्नातकोत्तर/उद्यान/पोस्ट हारवेस्ट/तकनीकी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. कुलसचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. निजी सहायक को माननीय कुलपति जी के अयलोकनार्थ ।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

[Signature]

[Signature]

Registrar
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)



कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
मेरठ - 250 110 (उ०प्र०)

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

पत्रांक: सवप/अ०छा०क०/2023/०६०२
दिनांक : 29.05.2023

कार्यालय आदेश

श्री कुलश्रेष्ठ धारीवाल, आई०डी० सं० 5485, बी०एस०सी० (कृषि), द्वितीय वर्ष

श्री कुलश्रेष्ठ धारीवाल, आई०डी० सं० 5485, बी०एस०सी० (कृषि), द्वितीय वर्ष को विश्वविद्यालय परिसर में अनुशासन हीनता करने एवं विश्वविद्यालय नियमों का उल्लंघन करने के दृष्टिगत अनुशासन समिति की संस्तुति एवं सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त निम्नानुसार दण्डित किया गया है :-

- ₹० 5,000.00 का आर्थिक दण्ड एवं
 - भविष्य में इस प्रकार के कृत्य न करने के लिए कड़ी चेतावनी की संस्तुति प्रदान करती है।
- यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त जारी किया जा रहा है।

प्रतिलिपि:

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

1. समस्त सूचना पट।
2. छात्र सलाहकारों को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को अपने स्तर से भी छात्र के अनिभावकों के संज्ञान में अनिवार्य रूप से लायें।
3. छात्रावास अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. सुरक्षा अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. सह अधिष्ठाता छात्र कल्याण (छात्रावास) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. अधिष्ठाता, कृषि/जैव प्रौद्योगिकी/पशुचिकित्सा/स्नात्कोत्तर/उद्यान/पोस्ट हारवेस्ट/तकनीकी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. कुलसचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. निजी सहायक को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

Chirh

R

Registrar
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)



कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
मेरठ - 250 110 (उ०प्र०)

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

पत्रांक: सवप/अ०छा०क०/2023/10603
दिनांक : 29.05.2023

कार्यालय आदेश

श्री अरुण सिंह, आई०डी० सं० 4998, बी०एस०सी० (उद्यान), तृतीय वर्ष

श्री अरुण सिंह, आई०डी० सं० 4998, बी०एस०सी० (उद्यान), तृतीय वर्ष को विश्वविद्यालय परिसर में अनुशासन हीनता करने एवं विश्वविद्यालय नियमों का उल्लंघन करने के दृष्टिगत अनुशासन समिति की संस्तुति एवं सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त निम्नानुसार दण्डित किया गया है :-

- ₹ 5,000.00 का आर्थिक दण्ड एवं
- भविष्य में इस प्रकार के कृत्य न करने के लिए कड़ी चेतावनी की संस्तुति प्रदान करती है।

यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त जारी किया जा रहा है।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपि:

1. समस्त सूचना पट।
2. छात्र के परामर्शदाता को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को अपने स्तर से भी छात्र के अभिभावकों के संज्ञान में अनिवार्य रूप से लायें।
3. छात्रावास अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. सुरक्षा अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. सह अधिष्ठाता छात्र कल्याण (छात्रावास) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. अधिष्ठाता, कृषि/जैव प्रौद्योगिकी/पशुचिकित्सा/स्नात्कोत्तर/उद्यान/पोस्ट ग्राजुएट/तकनीकी के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. कुलसचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. निजी सहायक को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

Registrar

S.V.P. Unit of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)



कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
मेरठ - 250 110 (उ०प्र०)

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

पत्रांक: सवप/अ०छा०क०/2023/०६०५
दिनांक : 29.05.2023

कार्यालय आदेश

श्री हर्ष वर्धमान, आई०डी० सं० 4971, बी०एस०सी० (उद्यान), तृतीय वर्ष
श्री अभिषेक तिवारी, आई०डी० सं० 4987, बी०एस०सी० (उद्यान), तृतीय वर्ष
श्री अनुराग कुमार, आई०डी० सं० 4981, बी०एस०सी० (उद्यान), तृतीय वर्ष
श्री जितेश चौधरी, आई०डी० सं० 4680, बी०एस०सी० (कृषि), चतुर्थ वर्ष
श्री प्रतीक सिंह, आई०डी० सं० 5282, बी०एस०सी० (कृषि), तृतीय वर्ष

श्री हर्ष वर्धमान, आई०डी० सं० 4971, बी०एस०सी० (उद्यान), तृतीय वर्ष, श्री अभिषेक तिवारी, आई०डी० सं० 4987, बी०एस०सी० (उद्यान), तृतीय वर्ष, श्री अनुराग कुमार, आई०डी० सं० 4981, बी०एस०सी० (उद्यान), तृतीय वर्ष, श्री जितेश चौधरी, आई०डी० सं० 4680, बी०एस०सी० (कृषि), चतुर्थ वर्ष, श्री प्रतीक सिंह, आई०डी० सं० 5282, बी०एस०सी० (कृषि), तृतीय वर्ष को विश्वविद्यालय परिसर में अनुशासन डीनता करने एवं विश्वविद्यालय नियमों का उल्लंघन करने के दृष्टिगत अनुशासन समिति की संस्तुति एवं सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त निम्नानुसार दण्डित किया गया है :-


- भविष्य में इस प्रकार के कृत्य न करने के लिए कड़ी चेतावनी की संस्तुति प्रदान करती है ।

यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त जारी किया जा रहा है ।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपि:

1. समस्त सूचना पट ।
2. छात्र सलाहकारों को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को अपने स्तर से भी छात्र के अभिभावकों के संज्ञान में अनिवार्य रूप से लायें ।
3. छात्रावास अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कर्मवाही हेतु ।
4. सुरक्षा अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. सह अधिष्ठाता छात्र कल्याण (छात्रावास) को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
6. अधिष्ठाता, कृषि/जैव प्रौद्योगिकी/पशुचिकित्सा/स्नात्कोत्तर/उद्यान/पोस्ट ग्राजुएट/तकनीकी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. कुलसचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. निजी सहायक को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ ।


अधिष्ठाता छात्र कल्याण

Registrar
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)



कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
मेरठ - 250 110 (उ०प्र०)


अधिष्ठाता छात्र कल्याण

पत्रांक: सवप/अ०छा०क०/2022/10051
दिनांक : 08.06.2022

कार्यालय आदेश


श्री कार्तिकेय सिंह, आई०डी० सं० 5968, बी०एस०सी० एग्रीकल्चर
श्री सनी कसौघन, आई०डी० सं० 5484, बी०एस०सी० एग्रीकल्चर
श्री आरव पटेल, आई०डी० सं० 5944, बी०एस०सी० हार्टीकल्चर

श्री कार्तिकेय सिंह, आई०डी० सं० 5968, श्री आरव पटेल, आई०डी० सं० 5944, एवं श्री सनी कसौघन, आई०डी० सं० 5484 ने छात्रावास में हुई तोड़फोड़ एवं अन्य असंवैधानिक गतिविधियों का मुख्य सूत्रधार एवं दोषी पाये जाने एवं विश्वविद्यालय अनुशासन नियमों का उल्लंघन करने पर अनुशासन समिति की संस्तुति एवं सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त छात्रावास से स्थाई निष्कासन, 01 सेमेस्टर (शैक्षणिक वर्ष 2021-22 का वर्तमान द्वितीय सेमेस्टर) के लिए महाविद्यालय से अस्थायी निष्कासन (Temporary Dismissal), प्रति छात्र रूपए 5,000.00 का आर्थिक दण्ड एवं पूर्ण डिग्री प्रोग्राम पर कण्डेक्ट प्रोवेशन (CP) पर रखा जाता है। यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त जारी किया जा रहा है।


अधिष्ठाता छात्र कल्याण 8/6/2022

प्रतिलिपि:

1. समस्त सूचना पट।
2. छात्रावास अधीक्षक डा० वी० पी० सिंह को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश का छात्रों द्वारा तुरन्त पालन कराकर अधोहस्ताक्षरी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
3. छात्र सलाहकारों (डा० भीम सिंह, डा० दीपक सिसौदिया, डा० यू० पी० शाही) को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को अपने स्तर से भी छात्रों एवं छात्रों के अभिभावकों के संज्ञान में अनिवार्य रूप से लायें।
4. सुरक्षा अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अधिष्ठाता, कृषि/जैव प्रौद्योगिकी/पशुचिकित्सा/स्नात्कोत्तर/उद्यान/पोस्ट हारवेस्ट/तकनीकी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वित्त नियन्त्रक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. कुलसचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. निजी सहायक को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।


अधिष्ठाता छात्र कल्याण 8/6/2022

Registrar
S.V.P. Uni. of Agri. & T.
Meerut-250110 (U.P.)



कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
मेरठ - 250 110 (उ०प्र०)

अधिष्ठाता छात्र कल्याण


पत्रांक: सवप/अ०छा०क०/2022/1007/
दिनांक : 23.06.2022

कार्यालय आदेश

श्री प्रियान्शु त्यागी, आई०डी० सं० 5549, बी०एस०सी०, कृषि, प्रथम वर्ष,

श्री प्रियान्शु त्यागी, आई०डी० सं० 5549, बी०एस०सी०, कृषि, प्रथम वर्ष, को छात्रावास में कक्ष आवंटित न होते हुये भी छात्रावास में असंवैधानिक रूप से रह कर एवं अन्य छात्रों के साथ मिलकर छात्रावास में हुई तोड़फोड़ एवं अन्य असंवैधानिक गतिविधियों का दोषी पाये जाने एवं विश्वविद्यालय अनुशासन नियमों का उल्लंघन करने पर अनुशासन समिति की संस्तुती एवं सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त भविष्य में छात्रावास आवंटन न करने, 01 सेमेस्टर (शैक्षणिक वर्ष 2021-22 का वर्तमान द्वितीय सेमेस्टर) के लिए महाविद्यालय से अस्थायी निष्कासन (Temporary Dismissal), रू० 5,000.00 (रूपया पाँच हजार मात्र) का आर्थिक दण्ड एवं पूर्ण डिग्री प्रोग्राम के लिए कण्डेक्ट प्रोबेशन (CP) पर रखा जाता है।

यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त जारी किया जा रहा है।


अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपि:

1. समस्त सूचना पट।
2. छात्र सलाहकार डा० गजे सिंह को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को अपने स्तर से भी छात्र के अभिभावकों के संज्ञान में अनिवार्य रूप से लायें।
3. सुरक्षा अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. अधिष्ठाता, कृषि/जैव प्रौद्योगिकी/पशुचिकित्सा/स्नातकोत्तर/उद्यान/पोस्ट हारवेरट/ तकनीकी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. वित्त नियन्त्रक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. कुलसचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. निजी सहायक को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण



Registrar
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)





कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
मेरठ - 250 110 (उ०प्र०)

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

पत्रांक: सवप/अ०छा०क०/2022/10072
दिनांक : 23.06.2022

कार्यालय आदेश

श्री हर्ष सिंह, आई०डी० सं० 5650, बी०एस०सी०, उद्यान प्रथम वर्ष,

श्री हर्ष सिंह, आई०डी० सं० 5650, बी०एस०सी०, उद्यान प्रथम वर्ष, को अन्य छात्रों के साथ मिलकर छात्रावास में हुई तोड़फोड़ एवं अन्य असंवैधानिक गतिविधियों, अन्य छात्रों के पठन-पाठन में व्यवधान डालने का दोषी पाये जाने एवं विश्वविद्यालय अनुशासन नियमों का उल्लंघन करने पर अनुशासन समिति की संस्तुती एवं सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त भविष्य में छात्रावास आंक्टन न करने, छात्रावास से स्थाई निष्कासन के साथ 01 सेमेस्टर (शैक्षणिक वर्ष 2021-22 का वर्तमान द्वितीय सेमेस्टर) के लिए महाविद्यालय से अस्थायी निष्कासन (Temporary Dismissal), रू० 5,000.00 (रूपया पाँच हजार मात्र) का आर्थिक दण्ड एवं पूर्ण डिग्री प्रोग्राम के लिए कण्डेक्ट प्रोबेशन (CP) पर रखा जाता है।

यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त जारी किया जा रहा है।


अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपि:

1. समस्त सूचना पट।
2. छात्रावास अधीक्षक डा० वी० पी० सिंह को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश का छात्रों द्वारा तुरन्त पालन कराकर अधोहस्ताक्षरी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
3. छात्र सलाहकार डा० अरविन्द कुमार को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को अपने स्तर से भी छात्र के अभिभावकों के संज्ञान में अनिवार्य रूप से लायें।
4. सुरक्षा अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अधिष्ठाता, कृषि/जैव प्रौद्योगिकी/पशुचिकित्सा/स्नात्कोत्तर/उद्यान/पोस्ट हारवेस्ट/ तकनीकी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वित्त नियन्त्रक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. कुलसचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. निजी सहायक को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण



Registrar
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)



कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
मेरठ - 250 110 (उ०प्र०)

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

पत्रांक : सवप/अ०छा०क०/2022/10394
दिनांक : 30.12.2022

कार्यालय आदेश


श्री रिदम बंशवाल, आई०डी० सं० 5552, बी०एस०सी०, कृषि, द्वितीय वर्ष

इस कार्यालय के पत्रांक सं० सवप/अ०छा०क०/2022/10073, दिनांक 23.06.2022 के द्वारा आप पर छात्रावास में हुई तोड़-फोड़ एवं अन्य संवैधानिक गतिविधियों, अन्य छात्रों के पठन पाठन में व्यवधान डालने का दोषी पाये जाने एवं विश्वविद्यालय अनुशासन नियमों का उल्लंघन करने पर अनुशासन समिति की संस्तुति एवं सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त भविष्य में छात्रावास आवंटन न करने, छात्रावास से स्थाई निष्कासन के साथ एक सेमेस्टर (शैक्षणिक सत्र 2021-22 का वर्तमान द्वितीय सेमेस्टर) के लिए महाविद्यालय से अस्थाई निष्कासन, रू० 5,000.00 का आर्थिक दण्ड, एवं पूर्ण डिग्री प्रोग्राम के लिए कंडक्ट प्रोबेशन पर रखा गया था। जिसके उपरान्त आपके द्वारा पुनर्याचना हेतु माननीय कुलपति जी को दिये गये आवेदन पत्रों पुनर्विचार करते हुए अनुशासन समिति की संस्तुति एवं सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त पूर्व में लगाये गये दण्ड को शिथिल करते हुये कार्यालय आदेश जारी होने की तिथि से कण्डेक्ट प्रोबेशन (CP) हटाया जाता है तथा शेष दण्ड यथावत रहेगे।

यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त जारी किया जा रहा है।

प्रतिलिपि:

1. समस्त सूचना पट।
2. छात्र सलाहकार को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को अपने स्तर से भी छात्रों एवं छात्रों के अभिभावकों के संज्ञान में अनिवार्य-रूप से लायें।
3. सुरक्षा अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. अधिष्ठाता, कृषि/जैव प्रौद्योगिकी/पशुचिकित्सा/स्नात्कोत्तर/उद्यान/पोस्ट ग्राजुएट/तकनीकी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. वित्त नियन्त्रक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. कुलसचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. निजी सहायक को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।


अधिष्ठाता छात्र कल्याण 12/2022

(P)

Registrar
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)





कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
मेरठ - 250 110 (उ०प्र०)

अधिष्ठाता छात्र कल्याण


पत्रांक: सवप/अ०छा०क०/2022/10073
दिनांक : 23.06.2022

कार्यालय आदेश

श्री रिदिम बंसीवाल, आई०डी० सं० 5552, बी०एस०सी०, कृषि, प्रथम वर्ष,

श्री रिदिम बंसीवाल, आई०डी० सं० 5552, बी०एस०सी०, कृषि, प्रथम वर्ष, को छात्रावास में कक्ष आवंटित न होते हुये भी छात्रावास में असंवैधानिक रूप से रह कर असंवैधानिक गतिविधियों, अन्य छात्रों के पठन-पाठन में व्यवधान डालने एवं विश्वविद्यालय अनुशासन नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाये जाने पर अनुशासन समिति की संस्तुती एवं सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त भविष्य में छात्रावास आवंटन न करने, 01 सेमेस्टर (शैक्षणिक वर्ष 2021-22 का वर्तमान द्वितीय सेमेस्टर) के लिए महाविद्यालय से अस्थायी निष्कासन (Temporary Dismissal), रू० 5,000.00 (रूपया पाँच हजार मात्र) का आर्थिक दण्ड एवं पूर्ण डिग्री प्रोग्राम के लिए कण्डेक्ट प्रोबेशन (CP) पर रखा जाता है।

यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त जारी किया जा रहा है।


अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपि:

1. समस्त सूचना पट।
2. छात्र सलाहकार डा० गजे सिंह को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को अपने स्तर से भी छात्र के अभिभावकों के संज्ञान में अनिवार्य रूप से लायें।
3. सुरक्षा अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. अधिष्ठाता, कृषि/जैव प्रौद्योगिकी/पशुचिकित्सा/स्नात्कोत्तर/उद्यान/पोस्ट हारवेस्ट/ तकनीकी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. वित्त नियन्त्रक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. कुलसचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. निजी सहायक को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।



अधिष्ठाता छात्र कल्याण

Registrar
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)



कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
मेरठ - 250 110 (उ०प्र०)

अधिष्ठाता छात्र कल्याण


पत्रांक : सवप/अ०छा०क०/2022/1039
दिनांक : 30.12.2022

कार्यालय आदेश

श्री अभिषेक गुप्ता, आई०डी० सं० 5541, बी०एस०सी०, कृषि, द्वितीय वर्ष

इस कार्यालय के पत्रांक सं० सवप/अ०छा०क०/2022/10074, दिनांक 23.06.2022 के द्वारा आप पर छात्रावास में हुई तोड़-फोड़ एवं अन्य संवैधानिक गतिविधियों, अन्य छात्रों के पठन पाठन में व्यवधान डालने का दोषी पाये जाने एवं विश्वविद्यालय अनुशासन नियमों का उल्लंघन करने पर अनुशासन समिति की संस्तुति एवं सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त भविष्य में छात्रावास आवंटन न करने, छात्रावास से स्थाई निष्कासन के साथ एक सेमेस्टर (शैक्षणिक सत्र 2021-22 का वर्तमान द्वितीय सेमेस्टर) के लिए महाविद्यालय से अस्थायी निष्कासन, रू० 5,000.00 का आर्थिक दण्ड, एवं पूर्ण डिग्री प्रोग्राम के लिए कंडक्ट प्रोवेशन पर रखा गया था। जिसके उपरान्त आपके द्वारा पुनर्याचना हेतु माननीय कुलपति जी को दिये गये आवेदन पत्रों पुनर्विचार करते हुए अनुशासन समिति की संस्तुति एवं सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त पूर्व में लगाये गये दण्ड को शिथिल करते हुये कार्यालय आदेश जारी होने की तिथि से कण्डेक्ट प्रोवेशन (CP) हटाया जाता है तथा शेष दण्ड यथावत रहेगे।

यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त जारी किया जा रहा है।


अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपि:

1. समस्त सूचना पट।
2. छात्र सलाहकार को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को अपने स्तर से भी छात्रों एवं छात्रों के अभिभावकों के संज्ञान में अनिवार्य रूप से लायें।
3. सुरक्षा अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. अधिष्ठाता, कृषि/जैव प्रौद्योगिकी/पशुचिकित्सा/स्नात्कोत्तर/उद्यान/पोस्ट हारवेस्ट/तकनीकी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. वित्त नियन्त्रक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. कुलसचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. निजी सहायक को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।




Registrar
S.V.P. Unl. of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)



कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
मेरठ - 250 110 (उ०प्र०)

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

पत्रांक: सवप/अ०छा०क०/2022//००74

दिनांक : 23.06.2022

कार्यालय आदेश

श्री अभिषेक गुप्ता, आई०डी० सं० 5541, बी०एस०सी०, कृषि प्रथम वर्ष,

श्री अभिषेक गुप्ता, आई०डी० सं० 5541, बी०एस०सी०, कृषि प्रथम वर्ष, को अन्य छात्रों के साथ मिलकर छात्रावास में हुई तोड़फोड़ एवं अन्य असंवैधानिक गतिविधियों का दोषी पाये जाने एवं विश्वविद्यालय अनुशासन नियमों का उल्लंघन करने पर अनुशासन समिति की संस्तुती एवं सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त भविष्य में छात्रावास आंक्टन न करने, छात्रावास से स्थाई निष्कासन के साथ 01 सेमेस्टर (शैक्षणिक वर्ष 2021-22 का वर्तमान द्वितीय सेमेस्टर) के लिए महाविद्यालय से अस्थायी निष्कासन (Temporary Dismmissal), रू० 5,000.00 (रूपया पाँच हजार मात्र) का आर्थिक दण्ड, पूर्ण डिग्री प्रोग्राम के लिए कण्डेक्ट प्रोवेशन (CP) पर रखा जाता है।

यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त जारी किया जा रहा है।


अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपि:

1. समस्त सूचना पट ।
2. छात्रावास अधीक्षक डा० वी०पी० सिंह को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश का छात्रों द्वारा तुरन्त पालन कराकर अधोहस्ताक्षरी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
3. छात्र सलाहकार डा० डी०वी० सिंह को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को अपने स्तर से भी छात्र के अभिभावकों के संज्ञान में अनिवार्य रूप से लायें।
4. सुरक्षा अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अधिष्ठाता, कृषि/जैव प्रौद्योगिकी/पशुचिकित्सा/स्नात्कोत्तर/उद्यान/पोस्ट हारवेस्ट/ तकनीकी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वित्त नियन्त्रक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. कुलसचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. निजी सहायक को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण




Registrar
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)



कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
मेरठ - 250 110 (उ०प्र०)

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

पत्रांक: सवप/अ०छा०क०/2022/10075
दिनांक : 23.06.2022

कार्यालय आदेश

श्री सत्यवीर सिंह, आई०डी० सं० 5468, बी०एस०सी० कृषि प्रथम वर्ष

श्री सत्यवीर सिंह, आई०डी० सं० 5468, बी०एस०सी० कृषि, प्रथम वर्ष को डा० हरगोविन्द खुराना छात्रावास में कक्ष आवंटित न होते हुये भी छात्रावास में असंवैधानिक रूप से रह कर, अन्य छात्रों के साथ मिलकर छात्रावास में हुई तोड़फोड़, अन्य असंवैधानिक गतिविधियों, अन्य छात्रों के पठन-पाठन में व्यथान करने का दोषी पाये जाने एवं विश्वविद्यालय अनुशासन नियमों का उल्लंघन करने पर अनुशासन समिति की संस्तुती एवं सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त भविष्य में छात्रावास आवंटन न करने, ₹० 5,000.00 (रूपया पाँच हजार मात्र) का आर्थिक दण्ड, एवं कड़ी चेतावनी दी जाती है।


23/6/2022
अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपि:

1. समस्त सूचना पट ।
2. छात्रावास अधीक्षक डा० वी० पी० सिंह को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश का छात्रों द्वारा तुरन्त पालन कराकर अधोहस्ताक्षरी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
3. छात्र सलाहकार डा० अर्चना आर्य को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को अपने स्तर से भी छात्र के अभिभावकों के संज्ञान में अनिवार्य रूप से लायें।
4. सुरक्षा अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अधिष्ठाता, कृषि/जैव प्रौद्योगिकी/पशुचिकित्सा/स्नातकोत्तर/उद्यान/पोस्ट हारवेस्ट/ तकनीकी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वित्त नियन्त्रक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. कुलसचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. निजी सहायक को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

Satyaweer Singh
25/06/22

अधिष्ठाता छात्र कल्याण


Registrar
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)



कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
मेरठ - 250 110 (उ०प्र०)

अधिष्ठाता छात्र कल्याण


पत्रांक: सवप/अ०छा०क०/2022/10076
दिनांक : 23.06.2022

कार्यालय आदेश

श्री प्रियान्श तैवतिया, आई०डी० सं० 5551, बी०एस०सी०, कृषि, प्रथम वर्ष


श्री प्रियान्श तैवतिया, आई०डी० सं० 5551, बी०एस०सी०, कृषि, प्रथम वर्ष को छात्रावास में असंवैधानिक गतिविधियों में सम्मिलित होने, अन्य छात्रों के पठन-पाठन में व्यवधान डालने एवं विश्वविद्यालय अनुशासन नियमों का उल्लंघन करने पर अनुशासन समिति की संस्तुति एवं सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त भविष्य में छात्रावास आंक्टन न करने, रू० 5,000.00 (रूपया पाँच हजार मात्र) का आर्थिक दण्ड एवं कड़ी चेतावनी दी जाती है।

यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त जारी किया जा रहा है।


23/6/2022
अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपि:

1. समस्त सूचना पट।
2. छात्रावास अधीक्षक डा० वी० पी० सिंह को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश का छात्रों द्वारा तुरन्त पालन कराकर अधोहस्ताक्षरी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
3. छात्र सलाहकार डा० गजे सिंह को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को अपने स्तर से भी छात्रों एवं छात्रों के अभिभावकों के संज्ञान में अनिवार्य रूप से लायें।
4. सुरक्षा अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अधिष्ठाता, कृषि/जैव प्रौद्योगिकी/पशुचिकित्सा/स्नात्कोत्तर/उद्यान/पोस्ट हारवेस्ट/ तकनीकी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वित्त नियन्त्रक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. कुलसचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. निजी सहायक को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।


29/6/22

अधिष्ठाता छात्र कल्याण


Registrar
S.V.P. Unit of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)



कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
मेरठ - 250 110 (उ०प्र०)

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

पत्रांक: सवप/अ०छा०क०/2022/10077
दिनांक : 23.06.2022

कार्यालय आदेश

✓ हार्दिक त्यागी, आई०डी० सं० 5536, बी०एस०सी० कृषि प्रथम वर्ष,
वरुण उपाध्याय, आई०डी० सं० 6002, बी०एस०सी० कृषि प्रथम वर्ष
आयुष कुमार, आई०डी० सं० 5969, बी०एस०सी० कृषि प्रथम वर्ष

श्री हार्दिक त्यागी, आई०डी० सं० 5536, श्री वरुण उपाध्याय, आई०डी० सं० 6002 एवं श्री आयुष कुमार, आई०डी० सं० 5969, बी०एस०सी० कृषि प्रथम वर्ष को छात्रावास में अन्य छात्रों द्वारा की जा रही असंवैधानिक गतिविधियों में उनका सहयोग कर अन्य छात्रों के पठन-पाठन में व्यवधान डालने एवं विश्वविद्यालय अनुशासन नियमों का उल्लंघन करने पर अनुशासन समिति की संस्तुती एवं सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त ₹० 2000.00 (रूपया दो हजार मात्र) का आर्थिक दण्ड एवं कड़ी चेतावनी दी जाती है।

यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त जारी किया जा रहा है।

Hardik Tyagi
23/6/2022
अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपि:

1. समस्त सूचना पट।
2. छात्रावास अधीक्षक डा० वी० पी० सिंह को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश का छात्रों द्वारा तुरन्त पालन कराकर अधोहस्ताक्षरी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
3. छात्र सलाहकारों (डा० हेम सिंह, डा० रमेश सिंह एवं डा० यू० पी० शाही) को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को अपने स्तर से भी छात्रों एवं छात्रों के अभिभावकों के संज्ञान में अनिवार्य रूप से लायें।
4. सुरक्षा अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अधिष्ठाता, कृषि/जैव प्रौद्योगिकी/पशुचिकित्सा/स्नात्कोत्तर/उद्यान/पोस्ट हारवेस्ट/ तकनीकी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वित्त नियन्त्रक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. कुलसचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. निजी सहायक को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

Hardik Tyagi

Pranav
Singh

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

R

Registrar
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)



कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
मेरठ - 250 110 (उ०प्र०)

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

पत्रांक : सवप/अ०छा०क०/2022/10394
दिनांक : 30.12.2022

कार्यालय आदेश

श्री हर्ष सिंह, आई०डी० सं० 5650, बी०एस०सी०, उद्यान, द्वितीय वर्ष

इस कार्यालय के पत्रांक सं० सवप/अ०छा०क०/2022/10079, दिनांक 23.06.2022 के द्वारा आप पर छात्रावास में हुई तोड़-फोड़ एवं अन्य संवैधानिक गतिविधियों, अन्य छात्रों के पठन पाठन में व्यवधान डालने का दोषी पाये जाने एवं विश्वविद्यालय अनुशासन नियमों का उल्लंघन करने पर अनुशासन समिति की संस्तुति एवं सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त भविष्य में छात्रावास आवंटन न करने, छात्रावास से स्थाई निष्कासन के साथ एक सेमेस्टर (शैक्षणिक सत्र 2021-22 का वर्तमान द्वितीय सेमेस्टर) के लिए महाविद्यालय से अस्थायी निष्कासन, ₹० 5,000.00 का आर्थिक दण्ड, एवं पूर्ण डिग्री प्रोग्राम के लिए कंडक्ट प्रोबेशन पर रखा गया था। जिसके उपरान्त आपके द्वारा पुनर्याचना हेतु माननीय कुलपति जी को दिये गये आवेदन पत्रों पुनर्विचार करते हुए अनुशासन समिति की संस्तुति एवं सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त पूर्व में लगाये गये दण्ड को शिथिल करते हुये कार्यालय आदेश जारी होने की तिथि से कण्डेक्ट प्रोबेशन (CP) हटाया जाता है तथा शेष दण्ड यथावत रहेगे।

यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त जारी किया जा रहा है।


अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपि:

1. समस्त सूचना पट।
2. छात्र सलाहकार को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को अपने स्तर से भी छात्रों एवं छात्रों के अभिभावकों के संज्ञान में अनिवार्य रूप से लायें।
3. सुरक्षा अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. अधिष्ठाता, कृषि/जैव प्रौद्योगिकी/पशुचिकित्सा/स्नात्कोत्तर/उद्यान/पोस्ट ग्राजुएट/तकनीकी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. वित्त नियन्त्रक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. कुलसचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. निजी सहायक को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।


Registrar
S.V.P. Univ. of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)

Harsh Singh
31/12/2022



कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
मेरठ - 250 110 (उ०प्र०)

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

पत्रांक: सवप/अ०छा०क०/2022/10079
दिनांक : 23.06.2022

संशोधित पत्र

कार्यालय आदेश

श्री हर्ष सिंह, आई०डी० सं० 5650, बी०एस०सी०, उद्यान प्रथम वर्ष,

श्री हर्ष सिंह, आई०डी० सं० 5650, बी०एस०सी०, उद्यान प्रथम वर्ष, को अन्य छात्रों के साथ मिलकर छात्रावास में हुई तोड़फोड़ एवं अन्य असंवैधानिक गतिविधियों, अन्य छात्रों के पठन-पाठन में व्यवधान डालने का दोषी पाये जाने एवं विश्वविद्यालय अनुशासन नियमों का उल्लंघन करने पर अनुशासन समिति की संस्तुती एवं सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त भविष्य में छात्रावास आंक्टन न करने, छात्रावास से स्थाई निष्कासन के साथ 01 सेमेस्टर (शैक्षणिक वर्ष 2021-22 का वर्तमान द्वितीय सेमेस्टर) के लिए महाविद्यालय से अस्थायी निष्कासन (Temporary Dismissal), रू० 5,000.00 (रूपया पाँच हजार मात्र) का आर्थिक दण्ड एवं पूर्ण डिग्री प्रोग्राम के लिए कण्डेक्ट प्रोवेशन (CP) पर रखा जाता है।

यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त जारी किया जा रहा है।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपि:

1. समस्त सूचना पट।
2. छात्रावास अधीक्षक डा० वी० पी० सिंह को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश का छात्रों द्वारा तुरन्त पालन कराकर अधोहस्ताक्षरी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
3. छात्र सलाहकार डा० सुनील मलिक को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को अपने स्तर से भी छात्र के अभिभावकों के संज्ञान में अनिवार्य रूप से लायें।
4. सुरक्षा अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अधिष्ठाता, कृषि/जैव प्रौद्योगिकी/पशुचिकित्सा/स्नात्कोत्तर/उद्यान/पोस्ट हारवेस्ट/ तकनीकी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वित्त नियन्त्रक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. कुलसचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. निजी सहायक को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

[Handwritten signature]
24/06/22

[Handwritten signature]
अधिष्ठाता छात्र कल्याण
R

Registrar
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)



कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
मेरठ - 250 110 (उ०प्र०)

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

पत्रांक: सवप/अ०छा०क०/2022/10083
दिनांक: 25.06.2022

कार्यालय आदेश

सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ की अनुशासन समिति की संस्तुति एवं सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के क्रम में डा० हरगोविन्द खुराना छात्रावास में निवासरत 65 छात्रों को सामूहिक रूप से तोड़-फोड़ करने, छात्रावास के मुख्य द्वार के शीशे एवं कुर्सियों तोड़ने, वार्डन कार्यालय के दरवाजे को हथौड़े एवं ईंट से तोड़ने का प्रयास करने तथा मेस में स्थापित वाटर कूलर के तार हटाकर ऐसे छात्रावास से बाहर फँकने के प्रकरण में दोषी पाये जाने एवं अनुशासन नियमों का उल्लंघन करने पर पूर्व में जारी आदेश सं०-सवप/अ०छा०क०/2022/10017 दिनांक 19.05.2022 द्वारा अनुशासन समिति की संस्तुति एवं सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त रू० 5000.00 (रूपया पाँच हजार मात्र) का आर्थिक दण्ड एवं कड़ी चेतावनी को शिथिल करते हुये पत्रांक सं० एवं सवप/अ०छा०क०/2022/10049 दिनांक 08.06.2022 द्वारा प्रति छात्र रू० 2000.00 (रूपया दो हजार मात्र) एवं की चेतावनी की संस्तुति की गई थी तथा आर्थिक दण्ड को दिनांक 15.06.2022 तक वित्त नियंत्रक कार्यालय में जमा करने के निर्देश दिये गये थे।

छात्रावास अधीक्षक के पत्रांक सं० SVP/HGK/2022/87, Dated 24.06.2022 द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 24.06.2022 तक निम्न छात्रों द्वारा प्रति छात्र रू० 2000.00 (रूपया दो हजार मात्र) का आर्थिक दण्ड जमा नहीं किया गया है।

Sl. No.	Name of Student	I.D. No.	Degree Programme	Advisor Name	Room No.
1.	Amol kumar Singh	5639/21	B.Tech. Biotech	Dr. Amit Kumar	GF10
2.	Abhinav Sharma	5619/21	B.Tech. Biotech	Dr. Akash Tomar	GF11
3.	Priyansh Teotia	5551/21	B.Sc. Agriculture	Dr. Gaje Singh	GF15
4.	Yuvraj Rathi	5970/21	B.Sc. Agriculture	Dr. U.P. Shahi	GF15
5.	Prateek Singhal	6003/21	B.Sc. Agriculture	DR. H.L. Singh	GF20
6.	Murli Manohar	6016/21	B.Sc. Agriculture	DR. S.K. Singh	FF9
7.	Abhishek Kumar	5951/21	B.Sc. Horticulture	Dr. S.K. Tripathi	FF11
8.	Krishna Kumar	5566/21	B.Tech. Biotech	Dr. Shalini Gupta	FF13
9.	Pavitra Kumar	5628/21	B.Tech. Biotech	Dr. Sandeep Kumar	FF14
10.	Kulshresta Dhariwal	5465/21	B.Sc. Agriculture	Dr. Rashmi	FF15
11.	Kartik Choudhary	5669/21	B.Sc. Horticulture	Dr. Vipin Kumar	FF15
12.	Vidit Ahlawat	5680/21	B.Tech. Dairy Tech	Prof. Samsher	FF18

अनुशासन समिति द्वारा 06 छात्रों Prateek Singhal, Yuvraj Rathi, Murli Manohar, Priyansh Teotia, Abhishek Kumar & Satyam Saurabh द्वारा सक्षम अधिकारी के समक्ष सामूहिक आवेदन पत्र 3530, दिनांक 20.06.2022 पर अनुशासन समिति द्वारा विचार कर शिथिल किया हुआ प्रति छात्र रू० 2000/- का आर्थिक दण्ड एवं कड़ी चेतावनी को यथावत रखने की संस्तुति की है। इस सन्दर्भ में अनुशासन समिति की बैठक दिनांक 20.06.2022 में की गई संस्तुति एवं सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त यदि उपरोक्त छात्रों द्वारा प्रति छात्र रू० 2000.00 (रूपया दो हजार मात्र) का आर्थिक दण्ड दिनांक 30.06.2022 तक वित्त नियंत्रक कार्यालय में जमा नहीं किया जाता है तो उन्हें सीमेस्टर के फाइनल परीक्षा में न बैठने दिया जाये एवं उनका आगामी सीमेस्टर में पंजीकरण न किया जाये।

यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त जारी किया जा रहा है।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपि:

- समस्त सूचना पट।
- छात्रावास अधीक्षक डा० वी०पी०सिंह को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश का छात्र द्वारा तुरन्त पालन कराकर अधोहस्ताक्षरी को 30.06.2022 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, ताकि अगिम कार्यवाही हेतु कुलसचिव कार्यालय को सूचित किया जा सके।
- छात्रों के तालिका के अनुसार छात्र सलाहकारों को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को अपने स्तर से भी छात्रों एवं छात्रों के अभिभावकों के संज्ञान में अनिवार्य रूप से लायें।
- सुरक्षा अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- अधिष्ठाता, कृषि/जैव प्रौद्योगिकी/पशुचिकित्सा/स्नातकोत्तर/उद्यान/पोस्ट हारवेस्ट/तकनीकी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- वित्त नियंत्रक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- कुलसचिव को सूचनार्थ एवं दिनांक 30.06.2022 के उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- निजी सहायक को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

Registrar
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)



कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
मेरठ - 250 110 (उ०प्र०)

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

पत्रांक : सवप/अ०छा०क०/2022/10087

दिनांक : 24.06.2022

कार्यालय आदेश

..... श्री-आरव पटेल, आई०डी० सं० 5944, बी०एस०सी०, उद्यान, प्रथम वर्ष

छात्र अरव पटेल, आई०डी० सं० 5944, बी०एस०सी०, उद्यान, प्रथम वर्ष के सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 13.06.2022 पर अनुशासन समिति की बैठक दिनांक 20.06.2022 को पुनर्विचार किया गया। चूंकि आरव पटेल, आई०डी० सं० 5944 को छात्रावास के छात्रों द्वारा चिन्हित किया गया है जिसकी पुष्टि अनुशासन समिति ने छात्रों के मोबाइल से उपलब्ध वीडियो से की है। वीडियो में श्री आरव पटेल असंवैधानिक गतिविधियों एवं छात्रावास में अन्य छात्रों के पठन-पाठन में व्यवधान डालने में संलिप्त पाया गया।

अतः इनके प्रार्थना पत्र पर विश्वविद्यालय एवं छात्रावास में निवासरत अन्य छात्रों के हित में अनुशासन समिति की संस्तुति एवं सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त पूर्व में लगाया गया दण्ड (छात्रावास से स्थाई निष्कासन, 01 सेमेस्टर (शैक्षणिक वर्ष 2021-22 का वर्तमान द्वितीय सेमेस्टर) के लिए महाविद्यालय से अस्थायी निष्कासन (Temporary Dismissal), रू० 5,000.00 (रुपया पाँच हजार मात्र) का आर्थिक दण्ड, पूर्ण डिग्री प्रोग्राम पर कण्डेक्ट प्रोवेशन (CP) यथावत रहेगा।

यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त जारी किया जा रहा है।

Anil Singh
अधिष्ठाता छात्र कल्याण 24/6/2022

प्रतिलिपि:

1. समस्त सूचना पट।
2. छात्रावास अधीक्षक डा० वी०पी० सिंह को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश का छात्रों द्वारा तुरन्त पालन कराकर अधोहस्ताक्षरी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
3. छात्र सलाहकार डा० एस०के० लोधी को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को अपने स्तर से भी छात्रों एवं छात्रों के अनिभावको के संज्ञान में अनिवार्य रूप से लायें।
4. सुरक्षा अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अधिष्ठाता, कृषि/जैव प्रौद्योगिकी/पशुचिकित्सा/स्नात्कोत्तर/उद्यान/पोस्ट हारवेस्ट/ तकनीकी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वित्त नियन्त्रक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. कुलसचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. निजी सहायक को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

Arav Patel
29/6/2022

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

Registrar
S.V.P. Uni. of Agri. & T.
Meerut-250110



कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
मेरठ - 250 110 (उ०प्र०)

अधिष्ठाता छात्र कल्याण


पत्रांक: सवप/अ०छा०क०/2022/10088
दिनांक : 23.06.2022

कार्यालय आदेश

श्री रोहित शर्मा, आई०डी० सं० 6013, बी०एस०सी०, कृषि, प्रथम वर्ष

श्री रोहित शर्मा, आई०डी० सं० 6013, बी०एस०सी०, कृषि, प्रथम वर्ष को छात्रावास में असंवैधानिक गतिविधियों में सम्मिलित होने, अन्य छात्रों के पठन-पाठन में व्यवधान डालने एवं विश्वविद्यालय अनुशासन नियमों का उल्लंघन करने पर अनुशासन समिति की संस्तुति एवं सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त भविष्य में छात्रावास आवंटन न करने, ₹ 5,000.00 (रूपया पाँच हजार मात्र) का आर्थिक दण्ड एवं कड़ी चेतावनी दी जाती है।

~~यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त जारी किया जा रहा है।~~


अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपि:

1. समस्त सूचना पट।
2. छात्रावास अधीक्षक डा० वी०पी० सिंह को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश का छात्रों द्वारा तुरन्त पालन कराकर अधोहस्ताक्षरी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
3. छात्र सलाहकार डा० एस०के० सिंह को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को अपने स्तर से भी छात्रों एवं छात्रों के अभिभावकों के संज्ञान में अनिवार्य रूप से लायें।
4. सुरक्षा अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अधिष्ठाता, कृषि/जैव प्रौद्योगिकी/पशुचिकित्सा/स्नात्कोत्तर/उद्यान/पोस्ट हारवेस्ट/ तकनीकी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वित्त नियन्त्रक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. कुलसचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. निजी सहायक को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

Rohit

29/06/22



Registrar
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)



Office of the Dean Student Welfare
Sardar Vallabhbhai Patel University of Agriculture & Technology,
Meerut (U.P.) 250110


Dean Student Welfare

Ref. No.: SVP/DSW/2022/10089
Dated : 23.06.2022

Office Order

Consequent upon the complaint from the warden, International hostel *vide*, Letter No. SVP/IH/298/2022, dated 17.06.2022 and dated 18.06.2022, University Disciplinary Committee found that the following student's of International hostel violated the hostel rules and therefore, the disciplinary action as mentioned against name of each student is here by taken as per the recommendation of disciplinary committee and subsequent approval of the competent authority.


Sl. No.	Name & Id.No. of the Student's	Despnrny action
1	Kheruddin sahebzada, Id. No. 4826	Warned to be carefull in future. If hostel rules are violated in future the case will be refered to concerned Ministry, Government of India.
2	Ittehad Zaman Id. No. 4827	Warned to be carefull in future. If hostel rules are violated in future the case will be refered to concerned Ministry, Government of India.



Dean Student Walfere

OIC
CC:

1. Registrar, SVPUA&T, Meerut
2. Dean, Agriculture/Bio-tech/PHT/Vet./Technology/PGS/Horticulture
3. Head, Department of Animal Husbandry, College of Agriculture.
4. Nodel Officer (Security), SVPUA&T, Meerut
5. The Warden, International Hostel, SVPUA&T, Meerut.
6. Student Concered.
7. All Notice Board.

Dean Student Walfere


29/6/2022
ID: 4826
7078553605

letter received


29-07-2022

id/No: 4827

9690194893


Registrar
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)



कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
मेरठ - 250 110 (उप्र)

9412453782

9599538653

7678442014

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

पत्रांक: सवप/अ0छा0क0/2023/10414
दिनांक : 13.01.2023

कार्यालय आदेश

सौरभ कुमार, आई0डी0 सं0 4947, बी0टेक0, फूड टेक्नोलोजी, तृतीय वर्ष, *Saurabh Kumar, B.Tech (Food Tech)*
उदित पवार, आई0डी0 सं0 6377, बी0टेक0, फूड टेक्नोलोजी, प्रथम वर्ष, *Udit Pawar*
प्रियान्शु कसाना, आई0डी0 सं0 6371, बी0टेक0, फूड टेक्नोलोजी, प्रथम वर्ष, *Priyanshu Kasana*
हरीश यादव, आई0डी0 सं0 5678, डेयरी टेक्नोलोजी, द्वितीय वर्ष, *Harihar Yadav*
सुनील कुमार यादव, आई0डी0 सं0 5677, डेयरी टेक्नोलोजी, द्वितीय वर्ष, *Sunil Kumar Yadav*
शिवा जैनर, आई0डी0 सं0 6388, बी0टेक0, फूड टेक्नोलोजी, प्रथम वर्ष, *Neelish Chandra Shrivastava*
कार्तिक माहेश्वरी, आई0डी0 सं0 4786, बी0टेक (बायोटेक), चतुर्थ वर्ष, *Dr. Parvati Kumar*
तरुण कुमार, आई0डी0 सं0 4588, बी0टेक (बायोटेक), चतुर्थ वर्ष, *Dr. Rishi Kallu*
देवेन्द्र प्रताप, आई0डी0 सं0 4531, बी0टेक (बायोटेक), चतुर्थ वर्ष, *Dr. Salma Mustafa*

सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ की अनुशासन समिति की संस्तुति एवं सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के क्रम में दिनांक 13.12.2022 को खेल मैदान पर किये गये हुडदंग/मार-पीट की अनुशासनहीनता में संलिप्त पाए जाने पर आपको भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति की स्थिति में विश्वविद्यालय नियमानुसार कठोर कार्यवाही घेतावनी प्रदान की जाती है।

यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त जारी किया जा रहा है।

Anshu
अधिष्ठाता छात्र कल्याण
13/01/2023

प्रतिलिपि:

1. समस्त सूचना पट।
2. छात्र सलाहकारों को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को अपने स्तर से भी छात्रों के अभिभावकों के संज्ञान में अनिवार्य रूप से लायें।
3. सुरक्षा अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. अधिष्ठाता, कृषि/जैव प्रौद्योगिकी/पशुचिकित्सा/स्नातकोत्तर/उद्यान/पोस्ट हारवेस्ट/तकनीकी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. कुलसचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. निजी सहायक को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

R

Registrar
S.V.P. Univ. of Agri. & T. U.
Meerut-250110 (U.P.)

Taru
Kavita
Darshana



कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
मेरठ - 250 110 (उ०प्र०)

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

पत्रांक: सवप/अ०छा०क०/2023/10430

दिनांक : 28.01.2023

कार्यालय आदेश

प्रभात कुमार, आई०डी० सं० 4600, बी०टेक (बायोटेक), चतुर्थ वर्ष,
दिवस भारद्वाज, आई०डी० सं० 4714, बी०एस०सी० कृषि चतुर्थ वर्ष,

इस कार्यालय के पत्रांक सं० सवप/अ०छा०क०/2023/14413, दिनांक 13.01.2023 के क्रम में सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ की अनुशासन समिति की संस्तुति एवं सक्षम अधिकारी के अनुमोदन पर छात्र प्रभात कुमार, आई०डी० सं० 4600, बी०टेक (बायोटेक) एवं दिवस भारद्वाज आई०डी० सं० 4714, बी०एस०सी० कृषि को दिनांक 13.12.2022 को खेल मैदान पर किये गये हुड़दंग/मार-पीट एवं रात्री में छात्रावास में पहुँचकर अनुशासनहीनता करने पर छात्रावास में निवास न करने की स्थिति में आप दोनों को छात्रावास परिसर में प्रवेश वर्जित के साथ साथ आगामी सेमेस्टर (शैक्षणिक वर्ष 2022-23 का द्वितीय सेमेस्टर) के लिए कण्डेक्ट प्रोवेशन (CP) पर रखे जाने का दण्ड तथा भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति की स्थिति में विश्वविद्यालय नियमानुसार कठोर कार्यवाही की चेतावनी प्रदान की गई थी। तत्पश्चात पुनर्विचार हेतु मा० कुलपति जी को दिये गये आप दोनों के आवेदन पत्रों एवं खेल-कूद सलैक्शन कमेटी की संस्तुति पर दिनांक 26.01.2023 को अनुशासन समिति की बैठक की गई एवं सक्षम अधिकारी द्वारा विचारोपरान्त पूर्व में लगाये गये दण्ड को शिथिल करते हुये आगामी सेमेस्टर हेतु कण्डेक्ट प्रोवेशन (सी०पी०) तथा अन्य दण्ड भी यथावत रखते हुये विशेष परिस्थितियों एवं विश्वविद्यालय कार्य हित में विश्वविद्यालय की टीम की ओर से दोनो छात्रों को अखिल भारतीय अन्तर कृषि विश्वविद्यालय खेल-कूद प्रतियोगिता-2022-23 में भाग लेने की अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अनुमोदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि इस निर्णय को भविष्य के लिये नजीर न माना जाए।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपि:

1. समस्त सूचना पट।
2. छात्र सलाहकारों को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को अपने स्तर से भी छात्रों के अभिभावकों के संज्ञान में अनिवार्य रूप से लायें।
3. सुरक्षा अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. सह अधिष्ठाता छात्र कल्याण (खेल-कूद) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अधिष्ठाता, कृषि/जैव प्रौद्योगिकी/पशुचिकित्सा/स्नातकोत्तर/उद्यान/पोस्ट हारवेस्ट/तकनीकी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. कुलसचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. निजी सहायक को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

28/1/23

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

Registrar
S.V.P. Univ. of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)



कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
मेरठ – 250 110 (उ०प्र०)

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

पत्रांक: सवप/अ०छा०क०/2023/10465
दिनांक : 13.02.2023


कार्यालय आदेश

मनीष कुमार, आई०डी० सं० 5138, बी०टेक (बायोटेक), तृतीय वर्ष,

सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ की अनुशासन समिति की संस्तुति एवं सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त छात्र मनीष कुमार, आई०डी० सं० 5138, बी०टेक (बायोटेक), तृतीय वर्ष को महाविद्यालय एवं छात्रावास में अनुशासनहीनता करने एवं विश्वविद्यालय नियमों का उल्लंघन करने के दृष्टिगत निम्नानुसार दण्डित किया गया है :-

- शेष डिग्री प्रोग्राम हेतु छात्रावास से स्थाई निष्कासन ।
- शेष डिग्री प्रोग्राम हेतु छात्र अपने अभिभावक के साथ उनकी देख-रेख में रखकर अपना पठन-पाठन का कार्य पूर्ण करेगा ।
- भविष्य में किसी भी प्रकार के आत्मघाती कदम उठाने पर विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा ।
- छात्र को आगामी सेमेस्टर के लिए कन्डक्ट प्रोवेशन (सी०पी०) पर रखा जाता है ।
- विश्वविद्यालय में पुनः प्रवेश करने से पहले छात्र के अभिभावक एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे कि छात्र उनकी देख-रेख में रहेगा ।
- विश्वविद्यालय में छात्र के प्रवेश करने पर यदि पुनः वही अनुशासन हीनता की जाती है तो उसे पूरे सेमेस्टर के लिए निष्कासित किया जायेगा ।

यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त जारी किया जा रहा है ।


अधिष्ठाता छात्र कल्याण 13/2/2023

प्रतिलिपि:

1. समस्त सूचना पट ।
2. छात्र सलाहकारों को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को अपने स्तर से भी छात्र के अभिभावकों के संज्ञान में अनिवार्य रूप से लायें ।
3. छात्रावास अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कर्मचारी हेतु ।
4. सुरक्षा अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. सह अधिष्ठाता छात्र कल्याण (छात्रावास) को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
6. अधिष्ठाता, कृषि/जैव प्रौद्योगिकी/पशुचिकित्सा/स्नातकोत्तर/उद्यान/पोस्ट हारवेस्ट/तकनीकी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. कुलसचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. निजी सहायक को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ ।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

Registrar
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)



कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
मेरठ - 250 110 (उ०प्र०)

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

पत्रांक: सवप/अ०छा०क०/2023/10400
दिनांक : 29.5.2023

कार्यालय आदेश

श्री अभिषेक धनकर, आई०डी० सं० 4104, एम०एस०सी० (उद्यान), प्रथम वर्ष

श्री अभिषेक धनकर, आई०डी० सं० 4104 को विश्वविद्यालय परिसर में अनुशासन हीनता करने एवं विश्वविद्यालय नियमों का उल्लंघन करने के दृष्टिगत अनुशासन समिति की संस्तुति एवं सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त निम्नानुसार दण्डित किया गया है :-

- शैक्षणिक सत्र 2022-23 के द्वितीय सैमेस्टर एवं शैक्षणिक सत्र 2023-24 के प्रथम सैमेस्टर हेतु कन्डक्ट प्रॉवेशन (सी०पी०) ।
- भविष्य में इस प्रकार के कृत्य न करने के लिए कड़ी चेतावनी ।

यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त जारी किया जा रहा है ।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपि:

1. समस्त सूचना पट ।
2. छात्र के परामर्शदाता को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को अपने स्तर से भी छात्र के अभिभावकों के संज्ञान में अनिवार्य रूप से लायें ।
3. छात्रावास अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. सुरक्षा अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. सह अधिष्ठाता छात्र कल्याण (छात्रावास) को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
6. अधिष्ठाता, कृषि/जैव प्रौद्योगिकी/पशुचिकित्सा/स्नातकोत्तर/उद्यान/पोस्ट ग्राजुएट/तकनीकी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. कुलसचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. निजी सहायक को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ ।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

Registrar
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)